2034 Sale ₹97,500 Rupees 9,75,000 Rs



2334, 2336, 2338, 2548
1921, 1926, 1929 & 1939 22-9-98

1. नाम वेल्यकारागण:
1. श्री विजय कुमार देव
2. श्री विनोद कुमार देव
3. श्री अजय कुमार देव
4. श्री संजय कुमार देव

सभी के पिता का नाम स्व गेंदी लाल मोहन देव

निवास स्थान-दानापुर, थाने का पर बिथली गली थाना वो पंजीयन कार्यालय दानापुर, जिला पटना, भारतीय नागरिक।

श्री विजय कुमार देव की ओर से काज पढ़कर सुनाने पर सही किया। ता: 25-4-1998.

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

1000 RS.



2. नाम लेखकारों : श्री विशाश कुमार पिता श्री नाथ मी पिरोड़ा कुमार निवास स्थान ग्राम वो पंचायत मारोपुर, थाना- बछितयारपुर जिला- पटना, व्यवसाय नागरिक । ---

3. लेख प्रकार : निर्विवाद विक्रय- पत्र यानि केयाला बयना जमानी ।---

4. मूल्यांकन : मो0 47,500/= सैतालिस हजार, पांच सौ रुपया मात्र । -----

5. सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण । : मधाजी ई । कट्ठा 16 धूर की ई एक कट्ठा सोलह धूरकी रकबा जमीन अवस्थित एक पक्का सहित रैयती जायगी मकान वाके मौजा बनारुर बहलालपुर परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वोजिला पटना जमा पटना क्षेत्रीय विक्रात प्राधिकार वाके है। मगर सरकारी राजस्व अभिलेख में भूमि कृषि योग्य दिखाया गया है वो

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director

1000Rs.



आज तक कृषि कार्य हो रहा है। रिजर्वी खाँजी संख्या-15 सौ॰ ¼ पन्द्रह सौ॰¼ थाना संख्या-21¼एकइस¼ खाता संख्या-829 ¼आठ सौ उनतीस¼ सर्वे खारा संख्या- 1032 ¼एक हजार बत्तीस¼ का अंश भाग जिसकी तालानालान सं0 40 पैसा वजमोतासेबिहार तरकाष द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर,पटना।----

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
सर्वे प्लॉट नं0-1031॰	श्याम बिहारी पंडित ।	विवेक कुमार दास खिर खरीदार	नेशनल रोड 90फीट चौड़ा रास्ता ।

पार्ट प्लॉट नं0 1032

विजय कुमार देव

"संदर्भ"

ईकियत यह है कि इस बिक्रय- पत्र के बहने नं0-3 में वर्णित सम्पत्ति एवं अन्य सम्पत्ति को श्रीमती राम दासो कुंअर धर्मपत्नी श्री गुरु नारायण दास, निवास स्थान दानापुर, बख्तियारपुर थाना-दानापुर, जिला- पटना वर्तमान

विजय कुमार देव
पिता- 25-4-98

25-4-98

For Vigeet Homes Pvt. Ltd.
Director



वधिका केवाला ह्यला कलामी मरहुमा तारीख 6-01-1936 ई० को नबिस्ते
शेख झलाही वरवापिताका नाम शेख ~~इब्रु~~ वो शेख अब्दुल मजीद उर्फ शेख जोहार
वरवा वोमा० वशोरन बाँजे शेख मुंशी निवासी कस्बा दानापुर उर्फ दानापुर,
जिला- पटना से बय खरीद किये थे। जिसका पुस्तक नं० वो-1 जिल्द नं० 1-9
पृ०ठ संख्या-103 से 107 निबंधन संख्या- 77 सन् 1936 ई० निबंधकार्यालय
दानापुरसाके है। वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर अपने जीवन काल तक
उक्त श्रीमती रामवासो कुअर स्वयं का। ज दखिल रहकरअपने छः पुत्र ण क्रमशः
श्री विशम्भर देव वो श्री लाल मोहन देव वो श्री ~~कमो~~हन देव वो श्री सत्य देव
विशम्भर दयाल देव

पुसादवो श्री पलदेव पुसादवो श्री शम्भू नाथ दासको अपना संयुक्त
वारित जायज छोड़कर अरसा दराज हुआ के हालत खानदान हमारा स्वर्गवास
कर गई। वो बाद स्वर्गवास अपनी माता के उक्त सभी भ्रातागणअपने तमस्त
इजमाली सम्पत्ति पर काबिज दखिल हुए वो रहे । बाद में उक्त सभी भ्रातागण
ने अपने समस्त सम्पत्तिका आपसी बंटवारा बजरिय पंचान पेसला के कर लिया।
जिसके अनुसार खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति श्री लाल मोहन देव को खास दाज
एवं हिस्सा में मिला जिसपर उक्त श्री लाल मोहन देव ताजिन्दगी स्वयं काबिज

श्री विजय कुमार देव
आ: 25-4-98

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

500Rs.



दखिल होकर वो रहकर अपने चार पुत्रगण लेखकारोगणको अपना वारित जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये । वो बाद स्वर्गवास अपने पिता के लेखकारोगण उपरोक्त खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति पर बहैसियत सम्पति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर तथा सम्पति सम्बन्धी व्यवस्था करके सम्पत्ति के उत्पत्ति आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते रहे है । वो लेखकारोगण का नाम वतिरिस्ता बिहार सरकार के जमींदारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या सन् 1997-98 में दर्ज पायागया है । ----

लेखकारोगणको तत्पश्चात खरीदने अन्य पुश्तैनी सम्पति के लिये रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति को बिक्री लेखकारोगण नही करते हैतब तक रूपयों का शीघ्र प्रबंध करना लेखकारोगण के वास्ते वर्तमान समय से प्राय: मुश्किल है । ----

अतएव लेखकारोगण ने बहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्वस्था मेंअपने शुभ चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director



लेकर बिनाकिसी बाहरी दबाव सो डराव वो धमकाव के अपने समस्त धानेरीश्यों के साथ खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उसका कुल मूल्य रु0 47,500/- सैतालिस हजार, पांच सौ रुपया मात्र में लेखकारो खाने नं-2 के हाथेया वो बैयला कलामो किया वो लेख देवनागरी में लिखकर स्वीकार किया । -----

मूल्य के कुल रुपयों को लेखकारोगण ने इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने के पूर्व खरीदार पक्ष से वसूल वो बैबाक पा चुके है । -----

खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो हकूक कब्जा आज तक लेखकारोगण या उनकेउत्तराधिकारोगण को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो हकूक कब्जा आदि के लिये से उपरोक्त कुल रुपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारोगण को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होतारहेगा। खरीदार खाने नं-5 में वर्णित सम्पत्ति पर बहैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामिकारो वो हकदार वो हकदार होकर वो रहकरजायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहेअपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी बजाय लेखकोरोगण के करीदरहता बिहार सरकार के जमीदारी विभाग में इस विक्रय- पत्र के माध्यमसे नामांकित

सही पहचान कुमार दूबे
दि: 25-4-98.

for Vineet Homes Pvt. Ltd.
Authorised Signatory
Director

10 Rs.



करालेवेंगे। उक्त लेख्यकारी पक्ष को किसीप्रकार का कोई उज्र वो एतराज न है न कभी होगा वो यदिलेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उज्रदारी निरूपत करार्थ मजकूर करे सम्पत्त मजकूर के करें तो, उनको उज्रदारी वादावा एमोकाबले दसीका विक्रय- पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाईकरने योग्य नहीं होगा। ----

लेख्यकारीगण(विक्रेतागण) ने लेख्यधारी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये हैंऔर विश्वास दिलाये है कि साने क्र-5 वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार तथैवो इंट वो दण भार सरकारी वागैर सरकारी से पूर्णत: मुक्त वो पाक साफ है वो आज तक लेख्यकारीगण ने साने क्र-5 में वर्णित सम्पत्ति को किसी अन्य के साथकिसी प्रकार का कोई हस्तांतरणनहीं किये है वो नहीं किये है। वो आज तकाप किसी प्रकार का अधिकार संबंधी केस वो ऋण भार सरकारी वो गैरसरकारी साने क्र-5 में वर्णित सम्पत्ति में पाया जाय या लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण के हस्तक्षेप के पश्चात्य खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण सम्पत्ति के अंश या कुल-भाग से बेदखली करदिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण

सही पहचान करार दें
दि: 25-4-98

For Vinbet Homes Pvt. Ltd.
Director



5R$

को हो तो वैसी हालतमें खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने क्षति पूर्ति बेबदर वेदखली या जो जो हर्जा भार उनको अदा करना पड़े उसे मय सद फिसदसेत 1/= एक रुपया माहवारी के हिसाब से लेखकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण अन्यान्य चलाफल सम्पति से कानूनी कारवाईकरके वसूल भी बेबाक कर लेवेंगे। उस वक्त लेखकारी पक्षको किसी प्रकारका उजुर यो एतराज न है न कभी होगा। ----

इस वास्ते यह बयिना निर्विवादविक्रय- पत्र यानि लेखाला लखला कलमी लिखदिया कि समय परकाम आवे यो प्रमाणहै। ॥ शुभम् ॥

टीक

दिनेश कुमार सिन्हा
सिविल कोर्ट दानापुर, पटना

प्रार्थक कर्ता

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director

1545 5000Rs.



1- नाम लेखकारीगण : 1- श्री विजय कुमार देव
2- श्री विनोद कुमार देव
3- श्री अजय कुमार देव
4- श्री संजय कुमार देव

सभी के पिता का नाम स्वर्गीय लाल मोहन देव ।

निवास स्थान दानापुर गोला पर खिचली गली, थाना सो न्यायालय दानापुर, जिला पटना ।

भारतीय नागरिक ।

Director

1000Rs.



- 2 -

2- नाम लेखधारी : श्री विवेक कुमार पिता का नाम श्री विरेन्द्र कुमार, निवास स्थान माधोपुर, थाना पश्तियार-पुर, जिला पटना । भारतीय नागरिक ।

3- लेख्य प्रकार : निर्विवाद विक्रय पत्र यानि केवाला बयना बलामी ।

4- मूल्यांकन : मो० 49,500/- (उनचास हजार पांच सौ रुपया) मात्र ।

5- सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण : मवाजी 1। कट्ठा 2 धूर। एक कट्ठा दो धूर खराजी असिंचित एक फसला इक्कियत रैयती कायमी नगदी बाकें मौजा दानापुर शहजादपुर, परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना अन्दर पटना स्थित विजल प्रोधिकार बाके है । मगर सरकारी

सही विजय कुमार देव
11-4-98

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

1000Rs.



- 3 -

राजस्व अभिलेख में भूमि कृषि योग्य दिखलाया गया है वो आज तक कृषि कार्य हो रहा है ।

जिसकी तौजी संख्या-15 सी (पन्द्रह सी), थाना संख्या-21 (इक्कीस), खाता संख्या-829 (आठ सौ उनतीस), सर्वे खसरा संख्या-1032 (एक हजार बतीस) का अंश भाग जिसकी सलाना लगान मो० 0·48 पैसा जमीन्दारी बिहार सरकार हाल अंचलाधिकारी दानापुर (पटना) ।

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
सर्वे प्लौट नं०-1031	श्री श्याम बिहारी पंडित ।	पार्ट प्लौट नं० 1032 विकास कुमार इमरोजा खरीदार ।	पार्ट प्लौट नं० 1032 इन्दू देवी इमरोजा खरीदार

" संदर्भ "

हदियत यह है कि इस विक्रय पत्र के खाने नं०-5 में वर्णित

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

1000Rs.



सम्पत्ति एंव अन्य सम्पत्ति को श्रीमती राम वासो कुंअर धर्म पत्नी श्री गुरू नारायण दास निवास स्थान दानापुर शहजादपुर, थाना दानापुर, जिला पटना ने बजरिये बयाना बैनामा वयना बलामी मरहुमा तारीख 06-01-1936 ई० को मार्फ्स्ते शेख इलाही बख्श पिता का नाम शेख नथु वो शेख अब्दुल मजीद साकुन शेख जोहा बख्श वो मो० कबीरन जौजे शेख मोगल निवासी कस्बा दानापुर, थाना दानापुर, जिला पटना से बय खरीद किये थे । जिसका पुस्तक संख्या-1, जिल्द संख्या-9, पृष्ठ संख्या-103 से 107 निबंधन संख्या-77 सन् 1936 ई० निबंधन कार्यालय दानापुर पाके है । वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर अपने जीवन काल तक उक्त श्रीमती रामवासो कुंअर स्वये काबिज दखिल रहकर अपने छव पुत्रगण क्रमशः श्री पिंडा भूषण देव वो श्री लाल मोहन देव वो श्री ~~मोहन~~ विजय कुमार देव वो श्री सत्यदेव प्रसाद वो श्री बलदेव प्रसाद वो श्री शम्भू नाथ दास को अपना संयुक्त वारिश जायज छोड़कर अरसा दराज हुआ के बहालत खानदान इज्माल स्वर्गवास कर गई ।

श्री विजय कुमार देव
हस्ता: 11-4-98

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

500Rs.



वो बाद स्वर्गवास अपनी माता के उक्त सभी भ्रातागण अपने समस्त इजमाली सम्पत्ति पर काबिज दखिल हुए वो रहे । बाद में उक्त भी भ्रातागण ने अपने समस्त सम्पत्ति का आपसी बँटवारा बजरिये न फैसला के कर लिया जिसके अनुसार खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति श्री लाल मोहन देव को खास दखल एंव हिस्सा में मिला जिसपर उक्त श्री लाल मोहन देव ताजिन्दगी स्वयं काबिज दखिल होकर वो रहकर अपने चार पुत्रगण लेखकारीगण को अपना वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये । वो बाद स्वर्गवास अपने पिता के लेखकारीगण उपरोक्त खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति पर बहैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर तथा सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था करके सम्पत्ति के उत्पन्नित आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते रहे हैं वो है । वो लेखकारीगण का नाम वंशावली बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रेयत संख्या 1733 सन् 1997-98 ई० में दर्ज पाया गया है ।

विजय कुमार दे
ता. 11-4-98

लेखकारीगण को तत्काल खरीदने अन्य फायदेमन्द सम्पत्ति के

For Vinaet Homes Pvt. Ltd.
Director

100Rs.



लिये रुपयों कीअत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री लेखयकारीगण नहीं करते हैं तब तक रुपयों का शीघ्र प्रबन्ध करना लेखयकारीगण के वास्ते वर्तमान समय में प्राय: मुश्किल है ।

अतएव लेखयकारीगण ने वहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी यो स्वामी यो हकदार यो दखलकार होकर यो रहकर अपने तन मन की स्वस्थावस्था में अपने शुभ चिन्तकों एंव कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव यो हराव यो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति को सम्यानुसार उचित मूल्य मो0 49,500/- (उनचास हजार पांच सौ रुपया) मात्र में लेखयधारी खाने नं0-2 के हेथा यो बयला कलामी किया यो लेखय निष्पादन का सहर्ष स्वीकार किया ।

मूल्य के कुल रुपयों को लेखयकारीगण ने इस पत्रिका पर हस्ताक्षर करने के पूर्व ही खरीदार पक्ष से नगद वसूल यो बेबाक पा चुके हैं ।

खाने नं0-5 के वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक यो दखल कब्जा

सभी विजय कुमार देव
ता: 11-1-98

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



आज तक लेखयकारीगण या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहेता वे सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल के कुल रुपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा । खरीदार खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति पर वहीसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहें अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी बजाय लेखयकारीगण के वसीरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस विक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेगें । उस वक्त लेखयकारीगण को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है न कभी होगा वो यदि लेखयकारीगण या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत ध्यान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्पत मरजी मजकुर करे सम्मन मजकुर के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा बमोकाबले बसीका विक्रय पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा ।

लेखयकारीगण (विक्रेताओं) ने लेखयधारी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये हैं और विश्वास दिलाये हैं कि खाने नं0-5 में वर्णित

सही विजय कुमार दूबे
ता: 11-4-98

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

10 Rs.



सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट यो ऋण भार सरकारी या गैर सरकारी से पूर्णत: मुक्त यो पाक साफ है यो आज तक लेखकारीगण ने खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं यो नहीं लिखे हैं । यो अगर खिलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट यो ऋण भार सरकारी या गैर सरकारी खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति में पाया जाये या लेखकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण सम्पत्ति के अंश या कुल भू-भाग से बेदखली कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण को हो तो ऐसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने क्षति पूर्ति बाबद बेदखली या जो-जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे मय सूद फिराद मो0 1/- (एक रूपया) माहवारी के हिसाब से लेखकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण के अन्यान्य चलाचल सम्पत्ति से कानूनी कारवाई करके वसुल यो हेवाक कर लेवेंगे । उस वक्त लेखकारीगण को किसी प्रकार का उजूर यो एतराज न है न कभी होगा ।

सभी विजय कुमार दे॰
दि: 11-4-98.

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

कृ0पृ0उ0



5R$

इस वास्ते यह वसीका निर्विवाद विक्रय पत्र यानि बेवाला पयला कलमी लिख दिया कि समय पर काम आवे को प्रमाण रहे ।

समाप्त ।

साक्ष्यगण का हस्ताक्षर :-

1- [illegible]

सही-विनय कुमार वर्मा
ता: 11-4-98

2 [illegible]
11/4/98

लेखकारीगम का हस्ताक्षर :-

[illegible]

टंकक :-
Raj Kumar Gupta
§राज कुमार गुप्ता§
सीविल कोर्ट, दानापुर,
§पटना§ ।

[illegible]

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



1463 Sale 49500/- Damakan Rs. 0.40 1086 5000Rs.

1. नाम लेख्यकारीगण : 1. श्री विजय कुमार देव
2. श्री विनोद कुमार देव
3. श्री अजय कुमार देव
4. श्री संजय कुमार देव

सभी के पिता का नाम स्वर्गीय लाल मोहन देव ।

निवास स्थान दानापुर गोला पर बिथली गर्ल थाना वो पत्रालय दानापुर, जिला- पटना, भारतीय नागरिक । -----

सही विजय कुमार देव पुत्र लिखा सो सही है । कागज पढ़ कर समझ लिया । कागज के अनुसार कुल रुपया इश्तियाक पाया । दिनांक- 11.3.1998.

सही विनोद कुमार देव पुत्र लिखा सो सही है । कागज पढ़ कर समझ लिया । कागज के अनुसार कुल रु 34650/- इश्तियाक पाया । दिनांक 11.3.1998.

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



2. नाम लेखधारी : श्री विवेक कुमार पिता का नाम श्री विरेन्द्र प्रसाद, निवासी ग्राम माधोपुर, थाना-पारिखार पुर, जिला- पटना, भारतीय नागरिक । -----

3. लेख प्रकार : निर्विवाद विक्रय-पत्र यानि बेचा गया जमीन । -----

4. मूल्यांकन : रू० 49,500/- उनचास हजार, पाँचसौ रुपया मात्र । -----

5. सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण । : मौजा ।। । कट्ठा 2 धूर ।। एक कट्ठा दो धूर सरकारी अर्जित एक फसला हकियत रैयती कायमी लगने वाले मौजा दानापुर बहलादपुर, परगना फुलवारी, थाना नं० सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री नं० जिला पटना, अन्दर पटना क्षेत्रीय विक्रय प्राधिकार वाके है मगर सरकारी राजस्व अभिलेख में भूमि कृषि योग्य दिखाया गया है जो

For Vipaet Homes Pvt. Ltd.
Director

1000Rs



- 3 -

आज तक कृषि कार्यरत रहा है । जिलको तौजी संख्या- 15 सौ० (पन्द्रह सौ०) थाना संख्या-21 (एकइस) खाता संख्या-829 (आठ सौ उनतीस) सर्वे खसरा संख्या- 1032 (एक हजार बतीस) का अंश भाग जिसकी सालनामान मौ० 90 फैला जमींदारी विलाः सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर, पटना । ----

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
सर्वे प्लौट नं० 1031	श्याम बिहारी पंडित	पाई प्लौट नं० 1032 अन्न स्वरूप विशाल कुमार	पाई प्लौट नं० 1032 निज

विनय कुमार जैन
दिनांक - 11.3.1998

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



" त ं द भ ं "

----0-----

हदिक्यत यह है कि इस बिक्रय- पत्र के खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य सम्पति को श्रीमती रामवासो कुअर धर्मपत्नी श्री गुरू नारायण दास निवास स्थान दानापुर शहजादपुर,थाना-दानापुर, जिला- पटना ने वजरिय पशिका केवाला बयला कलासी मरकुमा तारीख 06-01-1936 ई0 को नविस्ते शेख इलाही वल्द पिता का नाम शेख नथु वो शेख अब्दुल मजीद वल्द शेख जोहा वल्द वो मो0 यशीरन जोजे शेख मोगल निवासी कस्ब दानापुर थाना दानापुर जिला पटना से बय खरीद किये थे। जिसका पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या-9 पृष्ठ संख्या-103 से 107 निबंधन संख्या-77 सन् 1936 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर वाके है। वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर अपनेजीवन काल तक उक्त श्रीमती राम वासो कुअर स्वयं काबिज दखिल रहकर अपने सब पुत्रगण क्रमश: श्री विद्याभूषण देव वो श्री लाल मोहन देव वो श्री मनमोहन देव वो श्री सत्य देव प्रसाद वो श्री बलदेव प्रसाद वो श्री शम्भू

विद्या कुमार देव

For Vasant Homes Pvt. Ltd.

Director



नाथ दास को अपना संयुक्त वारिस जायज छोड़कर अरसा दराज हुआ के वहालत खानदान इजमाल स्वर्गवास कर गई । वो वाद स्वर्गवास अपनी माता के उक्त सभी भ्रातागण अपने समस्त इजमाली सम्पति परकाबिज दखिल हुए वो रहे । वाद में उक्त सभी भ्रातागण ने अपने समस्त सम्पति का आपसी बंटवारा वजरिय पंचान फैसला के कर लिया। जिसके अनुसार खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति श्री लाल मोहन देव को खास दाज एवं हिस्सा में मिला जिसपर उक्त श्री लाल मोहन देव ताजिन्दगी स्वयं काबिज दखिल होकर वो रहकर अपने चार पुत्रगण लेख्यकारोगण को अपनावारिस जायज छोड़कर स्वर्गवास करगये । वो वाद स्वर्गवास अपने पिता के लेख्यकारोगण उपरोक्त खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति पर वहैसियत सम्पति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर तथा सम्पति सम्बन्धी व्यवस्था करके सम्पति के उत्पत्तित आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते रहे है वो लेख्यकारोगण का नाम वतिरिस्ता बिहार सरकार के जमोन्दारी विभाग के जमाबंदी रैयत संख्या 1733 सन् 1997-98 ई० में दर्ज पाया गया है ।--

विजय कुमार देव

By Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

विजय कुमार देव
दिनांक 11.2.1998.



लेख्यकारोगण को तत्काल खरीदने अन्य फायदेमंद सम्पति के लिये रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता हैऔर जब तक खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति की बिक्री लेख्यकारोगण नही करते है तब तक रुपयों का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारोगण के वास्ते वर्तमान आय से प्राय: मुश्किल हैं । ----

अतएव लेख्यकारोगण ने वहैसियतसम्पति के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थस्था में अपने शुभ चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो असर वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति को समयानुसार उचित मूल्य मूल्य मो0 49,500/- उनचास हजार, पांच सौ रुपया मात्र में लेख्यधारी खाने नं0-2 के हाथ बेचा वो बैयला कलामो किया वो लेख्य निष्पादन का सहर्ष स्वीकारकिया । -----

For Vipeet Homes Pvt. Ltd.
Director

विजय कुमार देव
दिनांक 11.3.1998.



मूल्य के कुल रुपयों को लेख्यकारोगण ने खरीदार पक्ष से इस तौर से वसूल पाया कि - पूर्ण रूपया उसकी रिसा का हस्ताक्षर है छवे है अंतर पक्ष से विक्रय कुमार दत्त

खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारोगण या उनके उत्तराधिकारोगण को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारोगण को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति पर वहीतयत सम्पति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी वजाय लेख्यकारोगण के वतिरिक्ता बिहार सरकार के जमींदारी विभाग में इस बिक्रय- पत्र के

For Vaagel Homes Pvt. Ltd.
Director

विजय कुमार दत्त
दिनांक 11.3.1998.



माध्यम से नामांकित करा लेवेंगे। उस वक्त लेख्यकारो पक्षको किसीप्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है न कभो होगा वो यदि लेख्यकारोगण या उनके उत्तराधिकारोगण किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्पत एराजी मजकुर जरे तम्मन मजकुर के करे तो, उनको उजूरदारो या दावा वमोकावले वलीका बिक्रय- पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भो अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहो होगा । ---

लेख्यकारोगण (बिक्रेतागण) ने लेख्यधारी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये है और विश्वास दिलाये है कि खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति हरप्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी या गैर सरकारी से पूर्णत: मुक्त वो पाक साफ है वो आज तक लेख्यकारोगण ने खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरणनहो किये है वो नहीं लिखे है । वो अगर खिलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारो वो गैर सरकारो खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति में पाया जाय या लेख्यकारोगण या उनके उत्तराधिकारोगण के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारोगण सम्पति के अंश या कुल भू-भाग से वेदखली कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारोगण को हो तो वैसो हालत

For Vansat Homes Pvt. Ltd.
Director

विजय कुमार देव
दिनांक 11.3.1998



5R$

में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने क्षति पूर्ति वैकदर वेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे मय सूद फिलहाद मो0 1/= एक रुपया माहवारी के हिसाब से लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण अन्यान्य चलाचल सम्पति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो वेबाक कर लेवेंगे। उस वक्त लेख्यकारी पक्ष को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है न कभी होगा । ---

इस वास्ते यह परिक्षा निर्विवाद बिक्रय- पत्र यानि केवाला बैयला कलामी लिख दिया के समय पर काम आवें वो प्रमाण रहे । ‖ समाप्त ‖

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

ठीक
दिनेश कुमार सिन्हा
‖ दिनेश कुमार सिन्हा ‖
सिविल कोर्ट दानापुर, पटना ।

विजय कुमार सेन
दिनांक 11.3.1998.



पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने क्षति पूर्ति वेबद्दरवेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे मय सूद फिसद सैंo 1/= एक रुपया सालवारी के हिसाब से लेखकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण अन्यान्य तलाफल सम्पत्ति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो वेबाक कर लेवेंगे। उस वक्त लेखकारी पक्ष को किसीप्रकार का उजूर वो एतराज न है न कभी होगा। ----

इस वास्ते यह पश्चिमा निर्विवाद लिखकर- पत्र या लेख्य कर दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे। इतमाफ।

लेखक

(अवधेश कुमार सिन्हा)
सिविल कोर्ट दानापुर, पटना।

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

1164 Sale 49580/= Danapur O.H.C.R. 1087 5000Rs



1813

18.3

251, 1258, 1277, 18.398

1277 & 1279

898, 8487, 9-3-98

8502 & 852

2048.62

1813

5200 2 Cl

3465

8665

1. नाम लेख्यकारीगण 1. श्री विजय कुमार देव
2. श्री विनोद कुमार देव
3. श्री अजय कुमार देव
4. श्री संजय कुमार देव

सभी के पिता का नाम स्वर्गीय लाल मोहन देव ।

निवास स्थान दानापुर गोला पर खिवली गली थाना सो पत्रालय दानापुर, जिला- पटना, भारतीय नागरिक । ----

(1) 2431911 (2) 2431911

11-3-98

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director



2. नाम लेखधारी : श्री विकाश कुमार पिता का नाम श्री विरेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम एवं पत्रालय माधोपुर, थाना बिहटाबारपुर, जिला- पटना, भारतीय नागरिक । ------

3. लेख्य प्रकार : निर्विवाद बिक्रय- पत्र यानि केवाला बयना कलमी।---

4. मूल्यांकन : मो0 49,500/- उनचास हजार, पाँच सौ रूपया मात्र।-

5. सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण। : मवाजी ½ । कट्ठा 2 धूर ½ एक कट्ठा दो धूर सराजी अविभाजित एक फसला हकियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा दानापुर शहजादपुर, परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना, अन्दर पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार वाके है। मगर सरकारी राजस्व अभिलेख में भूमि कृषि योग्य दिखायागया है वो आज तक कृषिकार्य हो रहा है । जिसकी ताँजी संख्या- 15सौ·½ पन्द्रह सौ·½ थाना संख्या

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

1000Rs.



- 3 -

21(इक्इस) खाता संख्या- 829(आठ सौ उनतीस) सर्वे खसरा संख्या- 1032(एक हजार बतीस) का अंश भाग जिसको तालाना लगान रू० 40 पैसा जमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर, पटना । ----

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
सर्वे प्लौट नं० 1031	श्री राम बिहारी पंडित	अशु सदनी प्लौट नं०	पार्ट प्लौट नं० 1032 अन्य खरीदार विवेक कुमार

तिलक कुमार देव

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

1000Rs.



- 4 -

" त ं द भ ं "

----0-----

बहिक्यत यह है कि इस बिक्रय- पत्र के खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति एवं अन्य सम्पत्ति को श्रीमती रामवासो कुअर धर्मपत्नी श्री गुरू नारायण दास निवास स्थान दानापुर मंहजादपुर,थाना-दानापुर, जिला- पटना ने बजरिय बयाना केवाला बयना कबाली सरकुमा तारीख 06-01-1936 ई0 को मार्फते शेख इलाही वख्श पिता का नाम शेख नथु वो शेख अब्दुल मजीद वल्द शेख जोहा वख्श वो मो0 वशीरन जोजे शेख मोगल निवासो कस्बा दानापुर थाना दानापुर जिला पटना से खुद खरीद किये थे। जिसका पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या-9 पृष्ठ संख्या-103 से 107 निबंधन संख्या-77 सन् 1936 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर पाके है। वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर अपनेजीवन काल तक उक्त श्रीमती राम वासो कुअर स्वयं काबिज दखिल रहकर अपने सब पुत्रगण क्रमशः श्री विश्वाभूषण देव वो श्री लाल मोहन देव वो श्री मनमोहन देव वो श्री तत्व देव प्रसाद वो श्री बलदेव प्रसाद वो श्री शम्भू

X

or Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



नाथ दास को अपना संयुक्त वारिस जायज छोड़कर अरसा दराज हुआ के वहालत खानदान इज्माल स्वर्गवास कर गई । वो वाद स्वर्गवास अपनी माता के उक्त सभी भ्रातागणअपने समस्त इजमालो सम्पति परकाबिज दखिल हुए वो रहे । वाद में उक्त सभी भ्रातागण ने अपने समस्त सम्पति का आपसी बंटवारा वजरिय पंचान फैसला के कर लिया। जिसके अनुसार खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति श्री लाल मोहन देव को खास दाज स्वं हिस्सा में मिला जिसपर उक्त श्री लाल मोहन देव ताजिन्दगी स्वयं काबिज दखिल होकर वो रहकर अपने चार पुत्रगण लेख्यकारोगण को अपनावारिस जायज छोड़कर स्वर्गवास करगये । वो वाद स्वर्गवास अपने पिता के लेख्यकारोगण उपरोक्त खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति पर वहैसियत सम्पति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर तथा सम्पति सम्बन्धी व्यवस्था करके सम्पति के उत्पत्तित आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते रहे है वो लेख्यकारोगण का नाम वतिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबंदी रैयत संख्या 17-33 सन् 1997-98 ई0 में दर्ज पाया गया है ।—

विजय कुमार देव
दिनांक 11.3.1998

विजय कुमार देव

for Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



लेख्यकारोगण को तत्काल खरीदने अन्य मानेजमेंट सम्पत्ति के लिये रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता हैऔर जब तक खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री लेख्यकारोगण नहो करते है तब तक रूपयों का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारोगण के वास्ते वर्तमान आय से प्राय: मुश्किल है । ----

अतएव लेख्यकारोगण ने वहीसयतसम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्वस्था में अपने शुभ चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो ऊराव वो धाकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित मूल्य मूल्य मो0 49,500/- उनचास हजार, पाँच सौ रुपया मात्र में लेख्यधारी खाने नं0-2 के हाथ बेचा वो बैयला कलामी किया वो लेख्य निष्पादन का सहर्ष स्वीकारकिया । -----

विजय कुमार देव
दिनांक 11.3.1998.

For Vinaet Homes Pvt. Ltd.
Director



मूल्य के कुल रुपयों को लेख्यकारोगण ने खरीदार पक्ष से इस तौर से वसूल पाया कि -

खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारोगण या उनके उत्तराधिकारोगण को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रुपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारोगण को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति पर वहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी बजाय लेख्यकारोगण के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमींदारी विभाग में इस विक्रय- पत्र के

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director



माध्यम से नामांकित करा लेवेगें। उस वक्त लेख्यकारी पक्षको किसीप्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है न कभी होगा वो यदि लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्पत्त एराजी मजकुर जरे तस्पन मजकुर के करे तो, उनको उजूरदारी या दावा वमोकाबले बतीका बिक्रय- पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहो होगा । ---

लेख्यकारीगण (बिक्रेतागण) ने लेख्यधारी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये है और विश्वास दिलाये है कि खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति हरप्रकार के अधिकार तबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी या गैर सरकारी से पूर्णत: मुक्त वो पाक साफ है वो आज तक लेख्यकारीगण ने खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरणनहो किये है वो नहीं लिखे है । वो आगे खिलाफ किसी प्रकार का अधिकार तबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी वगैरह सरकारी खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति में पाया जाय या लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण सम्पति के अंश या कुल भू-भाग से बेदखली कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण को हो तो वैसी हालत

12 फरवरी 1998

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director



में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने वक्ति पूर्ति वेकटर वेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे मय सूद फिलहाल मो० 1/= रुपया सालवारी के हिसाब से लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण अन्यान्य बलाधल सम्पत्ति से कानूनी कारवाई करके वसूल वा वेबाक कर लेवेंगे। उस वक्त लेख्यकारी पक्ष को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है न कभी होगा । ---

इस वास्ते यह परिक्का निर्विवाद बिक्रय- पत्र यानि केवाला बैयला कलामी लिख दिया के समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे । ॥ समाप्त ॥

टैक्क

॥ दिनेश कुमार सिन्हा ॥
सिविल कोर्ट दानापुर, पटना ।

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

1644

1547 5000Rs.



1- नाम लेखधारीगण : 1- श्री विजय कुमार देव
2- श्री विनोद कुमार देव
3- श्री अजय कुमार देव
4- श्री संजय कुमार देव

सभी के पिता का नाम स्वर्गीय लाल मोहन देव ।

निवास स्थान दानापुर गोला पर बिघली गैली, थाना वो पत्रालय दानापुर, जिला पटना ।

भारतीय नागरिक ।

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

1000Rs.



- 2 -

2- नाम लेखपोधारी : श्री विकास कुमार पिता का नाम श्री विरेन्द्र प्रसाद निवास स्थान माधोपुर, थाना फतियारपुर जिला पटना । भारतीय नागरिक ।

3- लेख प्रकार : निर्विवाद विक्रय पत्र यानि बेचाला बयना बलामी ।

4- मूल्यांकन : मो0 49,500/- (उनचास हजार पांच सौ रूपया) मात्र ।

5- सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण । : मवाजी (1 कट्ठा 2 धूर) एक कट्ठा दो धूर शरीकी अविभक्त एक फसला हरियत रैयती काश्मी नदी वाके मौजा दानापुर इब्राहिमपुर, परगना पूर्वधारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना अन्दर पटना क्रयविक्रय का अधिकार वाके है । मगर सरकारी

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



- 3 -

राजस्व अभिलेख में भूमि कृषि योग्य दिखलाया गया है एवं आज तक कृषि कार्य हो रहा है । जिसकी तौजी संख्या-15 सौ (पन्द्रह सौ), थाना संख्या-2। (दो), खाता संख्या-829 (आठ सौ उनतीस), खेसरा संख्या-1032 (एक हजार बतीस) का अंश भाग जितकी सलाना लगान मो० 0·40 पैसा जमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर (पटना) ।

श्री विजय कुमार दे
11.4.98

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
सर्वे प्लौट नं०-103।	श्याम बिहारी पंडित ।	पार्ट प्लौट नं०-1032 इन्दु देवी	पार्ट प्लौट नं०-1032 विवेक कुमार झमरोवा खरीदार

"संदर्भ"

हकियत यह है कि इस विक्रयपत्र के खाने नं०-5 में वर्णित

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

1000Rs.



सम्पत्ति एंव अन्य सम्पत्ति को श्रीमती राम वासो कुंअर धर्म पत्नी श्री गुरू नारायण दास निवास स्थान दानापुर शहणादपुर, थाना दानापुर, जिला पटना ने वजरिये बैनामा क्वाला वयला वलामी मरकुमा तारीख 06-01-1936 ई० को नबिस्ते शेख इलाही बख्श पिता का नाम शेख नथु वो शेख अब्दुल मजीद वल्द शेख जोहा बख्श वो मो० वशीरन जौजे शेख मोगल निवासी कस्बा दानापुर, थाना दानापुर, जिला पटना से क्रय खरीद किये थे । जिसका पुस्तक संख्या-1, जिल्द संख्या-9, पृष्ठ संख्या-103 से 107 निबंधन संख्या-77 सन् 1936 ई० निबंधन कार्यालय दानापुर पाके है । वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर अपने जीवन काल तक उक्त श्रीमती रामवासो कुंअर स्वयं काबिज दखिल रहकर अपने सब पुत्रगण क्रमशः श्री विद्या भूषण देव वो श्री लाल मोहन देव वो श्री मनमोहन देव वो श्री सत्यदेव प्रसाद वो श्री बलदेव प्रसाद को श्री शम्भू नाथ-दास को अपना संयुक्त वारिस जायज छोड़कर असरा दराज हुआ के पश्चात खानदान इजमाल स्वर्गवास कर गई ।

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

500Rs.



वो बाद स्वर्गवास अपनी माता उक्त सभी भ्रातागण अपने समस्त उत्तराधी सम्पत्ति पर काबिज दखिल हुए थे रहे । बाद में उक्त सभी भ्रातागण ने अपने समस्त सम्पत्ति का आपसी बंटवारा बजरिये पंचान केसला ले कर लिया जिसके अनुसार खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति श्री लाल मोहन देव को उक्त दाग एवं हिस्सा में मिला जिसपर उक्त श्री लाल मोहनदेव ताजिन्दगी स्वयं काबिज दखिल होकर वो रहकर अपने चार पुत्रगण लेखपकारीगण को अपना वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये । वो बाद स्वर्गवास अपने पिता के लेखपकारीगण उपरोक्त खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति पर वैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर तथा सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था करके सम्पत्ति के उत्पतित आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते रहे हैं वो है । वो लेखपकारीगण का नाम वसियरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या 1732 सन् 1927-28 ई० में दर्ज पाया गया है ।

सही लिखा कुमार देव
दि० 11-12-98

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



लेखकारीगण को तत्काल बरीदने अन्य फायदेमन्द सम्पत्ति के लिये रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री लेखकारीगण नहीं कर देते तब तक रुपयों का शीघ्र प्रबन्ध करना लेखकारीगण के वास्ते वर्तमान आय से प्राय: मुश्किल है ।

अतएव लेखकारीगण ने वक्फियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो मालिक होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थावस्था में अपने [illegible] इत्यादि लेकर बिना किसी जबरदस्ती दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित मूल्य मो0 49,500/- (उनपात हजार पांच सौ रुपया) मात्र में लेखधारी खाने नं0-2 के बेचा वो बयला बलामी किया वो लेख निष्पादन का सहर्ष स्वीकार किया ।

मूल्य के कुल रुपयों को लेखकारीगण ने इस पत्रिका पर हस्ताक्षर करने के पूर्व ही [illegible] से प्राप्त कर लेखने बेवाक पा चुके हैं ।

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



खाने नं0-5 के वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेखकारीगण या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहेता वे सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मुल्क कुल स्वर्यों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा । खरीदार खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति पर वहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहें अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी बजाय लेखकारीगण से दसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस विक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेंगे । उस वक्त लेखकारीगण को किसी प्रकार का कोई उजुर वो एतराज न है न कभी होगा वो यदि लेखकारीगण या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत ब्यान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकुर जरे सम्मन मजकुरे के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा वमोजावले बतीजा विक्रय पत्र के रद्द वो बे असरी

सही पेजाप आधार देव
आ: 11-12-98

For Vaibhavi Homes Pvt. Ltd.
Director



होगा तो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य न हो होगा ।

लेखयकारीगण (विक्रेताओं) ने लेखयधारी (क्रेता) के साथ यह भी तत्यता प्रकट किये हैं और विश्वास दिलाये हैं कि खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट तो ऋण भार सरकारी या गैर सरकारी से पूर्णत: मुक्त तो पाक साफ है तो आज तक लेखयकारी गण ने खाने नम्बर-5 में वर्णित सम्पत्ति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं तो नहीं लिखे हैं । तो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट तो ऋण भार सरकारी तो गैर सरकारी खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति में पाया जाये या लेखयकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण सम्पत्ति के अंश या कुल भू-भाग से बेदखल कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण को हो तो ऐसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने क्षति पूर्ति वाबद बेदखली या जो-जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे मय सूद फिसद सैकड़ा १/- (एक रुपया) माहवारी के हिसाब से लेखयकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण से

दस्तखत क्रेता
ता: 11-4-98

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



5R9

- 9 -

अन्यान्य बलाधल सम्पत्ति से कानूनी कारवाई करने हुल से पेशगी पर लेवेगें । उस वक्त लेखकारीगण को किसी प्रकार का उजुर को खराब न है न कभी होगा ।

इस वास्ते यह बसीका निर्विवाद विक्रय पत्र यानि लेखला बराला बलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे सो प्रमाण रहे ।

समाप्त ।

साक्ष्यगण का हस्ताक्षर :-

लेखकारीगण का हस्ताक्षर :-

1- [illegible]
11-4-98

2- [illegible]
11/4/98

टंकण :-
Ravi Kumar Gupta
रविराज कुमार गुप्ता
सीविल कोर्ट, दानापुर,
पटना । ।

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

1643

1546 5000Rs.



1- नाम लेखपकारीगण : 1- श्री विजय कुमार देव
2- श्री विनोद कुमार देव
3- श्री अजय कुमार देव
4- श्री संजय कुमार देव

सभी के पिता का नाम स्वर्गीय लाल मोहन देव ।

स्थायी स्थान दानापुर [illegible] गली, थाना वो पत्रालय दानापुर, जिला पटना ।

Of Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

1000Rs.



3- लेख्य प्रकार : निर्विवाद विक्रय पत्र यानि केवाला वयला कलामी ।

4- मूल्यांक : मो० 49,500/- उनचास हजार पांच सौ रुपया मात्र।

5- सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण : मवाजी 1। कट्ठा 2 धूर। एक कट्ठा दो धूर सराजी अविभाजित एक मुश्त हकियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा दानापुर झंझारपुर, परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना अंदर पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार वाके हाल मगर सरकारी राजस्व अभिलेख में भूमि-कृषि योग्य दिखलाया गया है जो आज तक वैसे ही कार्य हो रहा है । जिसकी चौहद्दी संख्या-15 सी. पन्द्रह सी., थाना

Dr Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

1000Rs.



- 3 -

संख्या-21 (इक्कीस), खाता संख्या-829 (आठ सौ उनतीस), सर्वे खतरा संख्या-1032 (एक हजार बत्तीस) का अंश भाग जिसकी सलाना लगान मो० 0.40 पैसा जमींदारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर (पटना) ।

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
सर्वे प्लौट नं०-1031	श्यामा पंडित	पार्ट प्लौट नं०-1032 विवेक कुमार इमरोजा खरीदार ।	नीज लेखपालरी

" संदर्भ "

हकियत यह है कि इस विक्रय पत्र के खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति एवं अन्य सम्पत्ति को श्रीमती राम पासो [illegible] गुरू नारायण दास निवास स्थान दानापुर (पटना) [illegible] दानापुर, जिला पटना ने बजरिये बैनामा [illegible] मुरक्मा तारीख 06-01-1936 ई० को नविस्ते [illegible] का नाम शेख नूर वो शेख अब्दुल मजीद वल्द शेख [illegible] मो० खीरन जौजे शेख

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

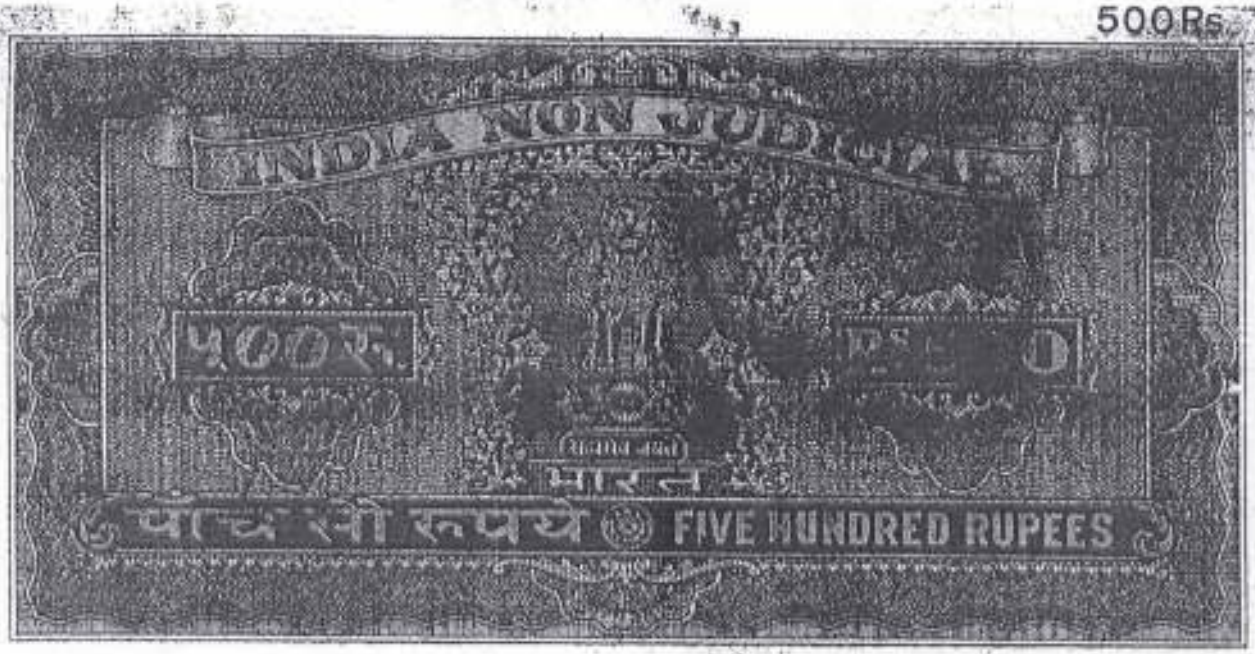
1000Rs.



मोगल निवासी कस्बा दानापुर, थाना दानापुर, जिला पटना से यह खरीद किये थे । जिसका पुस्तक संख्या-1, जिल्द संख्या-9 , पृष्ठ संख्या-103 से 107 निबंधन संख्या-77 सन् 1936 ई० निबंधन कार्यालय दानापुर पाके है । वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर अपने जीवन काल तक उक्त श्रीमती रामदासो तुंअर स्वयं काबिज दखिल रहकर अपने छह पुत्रगण क्रमशः श्री विद्या भूषण देव वो श्री लक्ष्मी मोहन देव वो श्री मनमोहन देव वो श्री सत्यदेव प्रसाद वो श्री बलदेव प्रसाद वो श्री शम्भू नाथ दास को अपना संयुक्त वारिस जायज छोड़कर अरसा दराज हुआ के वहालत खानदान इजमाल स्वर्गवास कर गई । वो बाद स्वर्गवास अपनी माता के उक्त सभी भ्रातागण अपने समस्त इजमाली सम्पत्ति पर काबिज दखिल हुए वो रहे । बाद में उक्त सभी भ्रातागण ने अपने समस्त सम्पत्ति का आपसी बंटवारा बजरिये पंचान फैसला के कर लिया। जिसके अनुसार खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति श्री लाल मोहन देव को खास दाज एंव हिस्सा में मिला जिसपर उक्त श्री लाल मोहन देव ताजिन्दगी स्वयं काबिज दखिल होकर वो रहकर अपने चार पुत्रगण लेखकारीगण को अपना पारिय जायज छोड़कर [illegible] वो बाद स्वर्गवास अपने पिताश्री के लेखकारीगण उपरोक्त [illegible] में वर्णित सम्पत्ति पर बैसियत

दि: 11-4-88

Dr. Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



सम्पत्ति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर तथा सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था करके सम्पत्ति के उत्पत्ति आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते रहे हैं वो है । वो लेखयकारीगण का नाम पंजीकृत बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या [illegible] सन् 1997-98 ई० में दर्ज पाया गया है ।

लेखयकारीगण को तत्काल खरीदने अन्य कायदेमन्द सम्पत्ति के लिये रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री लेखयकारीगण नहीं करते हैं तब तक रुपयों का शीघ्र प्रबन्ध करना लेखयकारीगण के वास्ते वर्त्तमान आय से प्रायः मुश्किल है ।

अतएव लेखयकारीगण ने वैहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थावस्था में अपने शुभ चिन्तकों एंव कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के [illegible] नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित मूल्य मो० 49,[illegible] उनचास हजार पांच सौ रुपया मात्र में लेखयधारिणी खाने नं०-[illegible] के हाथों बयला कलमी किया वो लेख

निष्पादन का सहर्ष स्वीकार [illegible]

सही विनय कुमार देव
ता० 11-4-98

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



मूल्य के कुल रुपयों को लेखपकारीगण ने इस कबाला पर हस्ताक्षर करने के पूर्व ही खरीदार पक्ष से नगद वसूल तो बेबाक पा चुके हैं ।

खाने नं0-5 के वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेखपकारीगण या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहेता है सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल के कुल रुपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा । खरीदार खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति पर बहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहें अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी बजाय लेखपकारीगण के बसिकिला बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस विक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेंगें । उस वक्त लेखपकारीगण को किसी प्रकार का कोई उजुर वोस्तराज न है न कभी होगा वो यदि लेखपकारीगण या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत ख्याल से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्बत मराजि मजकुर या सम्मन मजकुर के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा बमोजाबले वसीका विक्रय पत्र के रद वो गैर कानूनी

हस्ती विजय कुमार सिंह
दि: 11-4-98

For Vipeet Homes Pvt. Ltd.
Director



होगा तो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा ।

लेखकारीगण (विक्रेताओं) ने लेखकारिणी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये हैं और विश्वास दिलाये हैं कि खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट तो ऋण भार सरकारी या गैर सरकारी से पूर्णत: मुक्त तो पाक साफ है तो आज तक लेखकारीगण ने खाने नम्बर-5 में वर्णित सम्पत्ति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं तो नहीं लिखे हैं । तो अगर खिलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट तो ऋण भार सरकारी तो गैर सरकारी खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति में पाया जाये या लेखकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण सम्पत्ति के अंश या पूरा भू-भाग से बेदखली कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण को हो तो ऐसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने क्षति पूर्ति खातिर बेदखली या जो-जो ऋण भार उनको अदा करना पड़े उसे सह सूद फिलहाल रु० 1/- (एक रुपया) मात्रकारी के हिसाब से लेखकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण

देखी विजय कुमार 2/4-98

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

10 Rs.



अन्यान्य प्रतिफल सम्पादित से आवश्यक कार्यवाई करके खुल को [illegible] कर लेवेंगे । उन्हें या लेखकारीगण को किसी प्रकार का उजूर को अंतराय न है न कभी होगा ।

इस वास्ते यह बसीका निर्विवाद विक्रय पत्र यानि लेखाला करला लिखी लिख दिया कि समय पर काम आवे को प्रमाण रहे ।

समाप्त ।

साक्षीगण का हस्ताक्षर :-

1- [illegible]

2- [illegible]

लेखकारीगण का हस्ताक्षर :-

[illegible]

देवी प्रसाद कुमार दे
ता: 11-4-98

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



सही विजय कुमार देव
दि: 11-4-98

टेक्का :-
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

for Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director

1000Rs



कार्ड की ला० दानापुर उाँधी
नगर डाक दानापुर थाना दानापुर
जिला पटना मौजा मौजा नागरीक

श्री विवेक कुमार पिता का नाम श्री
बिरेन्द्र प्रसाद वर्तमान ग्राम चौकी
पेशा कार्ड की साकिन माधोपुर
डा० वरियारपुर कदाल डाक माधो-
पुर थाना वरियारपुर जिला
पटना मौजा नागरीक

विवरण निम्न

~~विवेक कुमार पिता का नाम श्री~~
~~बिरेन्द्र प्रसाद वर्तमान ग्राम चौकी~~
~~पेशा कार्ड की साo~~

विवरण निम्न

विक्रय पत्र केवाला बैनामा लेखनी

अंक ४८००) अड़तालिस हजार रुपया

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

500Rs



सवा जो १४ के चौदह डिसमिल मिल्कुमले
इन्द्रेमेने प्राजी हकियतकारे रेहनी
कादमी बकदी बाहे मौजा दानापुर शाहजाद
पुर थाना दानापुर जिला पटना वब
रजिष्ट्री दानापुर बहद रजिष्ट्री वो
जिला पटना मालीन जिहाद तस्कीरकोले
अमल आमिकारी दानापुर थाना दानापुर
जिला पटना जमिले लगान वैगे १)
जिलाना थाना ३१ मौजे १४ मी
खाता ८२८ आफ्ते आबाईश
वेगरे १०33 दफ्ते तैतीन में खसरो
१४डी चौदह डिसमिल मिल्कुमले
इन्द्रेमेने जिमिला माप इवे परिमाने २६४
दोसौ छहसठ वो उत्तर कित्तेहद १) पूर्वी की ओर

पो० अत्रविवाद — पो० हरप देवखदहो — पो० राम मोहन साह — पो० राकेश

पेश्वा — पटना

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

100Rs



पटना मास्टर प्लान के वादग्रस्त है को
कृषी भोजन कुमोद्दे को कृषि के आय
मे आता है को है जैसा शपथ पत्र
संलग्न है। जिला - 22.9.17
दे। धन्यवाद पटना

विदित हो कि मुझे आपने मकान
बनाने का ठेका निर्माण कार्य के लिए
रूपये 4,00,000/- कहा तय किये
उपरान्त आपने अतिरिक्त कार्य करवाये
जिसका भुगतान करने के उपरान्त आपसे
का अब कोई उपाय बचा है इस
लिए मैंने योजना नं. 2 के भूखण्ड
ने उपरोक्त मुल्यांकन की रिपोर्ट
को तैयार कर अब कोई व्यक्ति

25/7/17

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

40 Rs.



इतना कुलदीपने से प्राप्त हुआ
कर लिखे या अपने
मन से स्वीकार करके सौ लक्ष्मण
सोमदत्त को सौंप देवेन्द्र के दोनों
ने २ से मौके ~~की~~ विवेक कुमार
के हाथ से ४८,००० अड़तालीस हजार
रुपये सेवादारों को बराबर बँटवा कर
किया दो कुल रुपये ~~४८,०००~~
अड़तालीस हजार रुपये बराबर बटुल
पाया गिनने के बाद पैसा वाली
नरहा विक्रम को उसने हजार मनोज
गोपदास ने एक ~~गाड़ी~~ वाले के
हाथ नवासी पुत्र संदीप कुमार को हजार
पत्नी ~~की~~ सीता सुधमा देवी को हजार
प्रवीण कुमार को ~~की~~ राजीव कुमार ने
पचासा बराबर से हजार मिलाकर २८ वर्ष
से से मिला दे वो हजार पचास हजार
चला जाता है वो है कभी किसी से
कोई लेन देन ~~को~~ साझा नहीं किया

दिनांक ५.५.१९

[illegible]
[illegible]
[illegible]

for Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

40 Rs.



Director



1. नाम हस्ताक्षरीगण: 1. श्री विजय कुमार देव। सभी के पिता का नाम
2. श्री प्रियोद कुमार देव। स्वर्गीय लाल मोहन देव
3. श्री अजय कुमार देव।
4. श्री संजय कुमार देव।

निवास स्थान- दानापुर, गोला पर बिपली गली, थाना-दानापुर, पंचायत दानापुर, जिला पटना, भारतीय नागरिक।

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director



- 2 -

2. नाम लेखधारी : श्री विवेक कुमार पिता का नाम श्री विरेन्द्र प्रसाद निवास स्थान ग्राम एवं पत्रालय माधोपुर, थाना बिहतया ~~जिला- पटना~~ ।

3. लेख प्रकार : निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि केवाला बक्ता कलमी।---

4. मूल्यांकन : रू० 45,000/= पैंतालिस हजार रूपया मात्र । ----

5. सम्पति का सम्पूर्ण विवरण : मवाजी ३ । कट्ठा ३ एक कट्ठा सरकारी अधिपित एक पक्का दखियत रैयती कायमी नगदी बाँधे मौजा दानापुर शहजादपुर, परगना फुलवारी, थाना वो साब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना अन्दर पटना केन्द्रीय विकास प्राधिकार वाले है । मगर सरकारी राजस्व अभिलेख में भूमि कृषि योग्य दिखलाया गया है वो अब तक कृषि कार्य हो रहा है । जिसको तौजी संख्या-15 सौ-३ पन्द्रह सौ-३ थाना संख्या-21 ३एकइस३ खाता संख्या-829 ३आठ सौउनतीस३

सही विजय कुमार दे
दि: 25-4-98

श्री अनन्त कुमार सिंह एवं मिस्त्री दे
दि: 25-4-98

25/4/98

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Authorised Signatory
Director

1000Rs.



तर्वे खतरा संख्या- 1032 (एक हजार बतीस) का

अंश भाग जिसकी सालाना लगान रू0 40 पैसा

जमींदारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी

दानापुर,पटना । -----

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
तर्वे प्लौट नं0-1031.	श्याम बिहारी पांडेय ।	श्रीमती इन्द्र देवी हाल दिनांक खरीदार पार्टी प्लौट नं0 1032 विनय कुमार ईव	विकाश कुमार हाल दिनांक खरीदार पार्टी प्लौट नं0-1032

" स द र्भ "

हकियत यह है कि इस विक्रय- पत्र के खाने नं0-5वें वर्णित सम्पति एवं अन्य सम्पति को श्रीमती राम प्यारी कुअर धर्मपत्नी श्री गुरु नारायण दास, निवास स्थान दानापुर इहलादपुर, थाना-दानापुर, जिला पटनाने बजरिय वधिका केवाला बयेला कलामा मरकुआ तारीख 6-01-1936 को

For Vipeet Homes Pvt. Ltd.

Director



को नविस्ते शेख इलाही वल्द पिता का नाम शेख नथु को शेख अब्दुल मजीद वल्द शेख जोहार वल्द को मौ० वशीरन जाँके शेख सोमत निवासी कस्बा दानापुर, थाना दानापुर, जिला- पटना से क्रय क्रीद किये थे। जिसका पूरतल संख्या-1 जिल्द संख्या-9, पृष्ठ संख्या- 103 से 107 निबंधन संख्या- 77 सन् 1936 ई० निबंधन कार्यालय दानापुर वाके है । वो तारीख रजिस्टारी के दिन से लेकर अपने जीवन काल तक उक्त श्रीमती राम दासी कुंवर स्वयं काबिज दखील रहकर अपने सब पुत्रगण क्रमशः श्री विद्या भूषण देव वो श्री लाल मोहन देव वो श्री [illegible] मोहन देव वो श्री सत्य देव प्रसाद वो श्री बलदेव प्रसाद वो श्री शम्भू नाथ लाल को अपना संयुक्त वारिस जायज छोड़कर अरसा दराज हुआ के बहालत खानदान इलाल स्वर्गवास कर गई। वो बाद स्वर्गवास अपनी माता के उक्त सभी भ्रातागण ने अपने समस्त इजमाली सम्पत्ति परकाबिज दखील हुवा रहे । बाद में उक्त सभी भ्रातागण ने अपने समस्त सम्पत्ति का आपसी बंटवारा बजरिय पंचान पैसला के कर लिया । जिसके अनुसार खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति श्री लालमोहन देव को खास दाव एवं हिस्सा में मिला जिसपर उक्त श्री लाल मोहन देव तारीखेजो स्वयं काबिज दखील होकर वो रहकर अपने चार पुत्रगण लेखराज रोगणको अपना वारिस [illegible]

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director



छोड़कर स्वर्गवास कर गये । वो बाद स्वर्गवास अपने पिता के लेटयकारीगण उपरोक्त खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति पर बहैसियत सम्पत्ति मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर तथा सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था करके सम्पत्ति के उत्पत्तित आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते रहे है। वो लेटयकारीगणका नाम ~~पसिरिस्ता~~ बिहार सरकार के म्यूनिसिपल विभाग में जमाबन्दी रैयत संख्या सन् 1997-98 ई० में दर्ज पाया गया है । ----

लेटयकारीगण को तत्काल खरीदने अन्य फालतूमेंट सम्पत्ति के लिये रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति को बिक्री लेटयकारीगण नहीं करते है तब तक रुपयों का शीघ्रप्रबंध करना लेटयकारीगण के वास्ते वर्तमान आय से प्रत्यक्ष मुश्किल है । ----

अतएव लेटयकारीगण ने बहैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी धिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तनतन की स्वस्थ्यता में अपने शुभ चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्शादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो दराव वो प्रभाव के अपने समस्त

साक्षी विकास कुमार देव
दि: 25-4-98

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

50 RS.



ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति को समझनुसार उचित तुल्य मूल्य रु0 45,000/= पैंतालिस हजार रुपया मात्र में लेखकारो खाने नं0-2 के हाथ बेचा वो बेचना कबूली किया वो लेख निष्पादन का सहर्ष स्वीकार किया । ----

मूल्य के कुल रुपयों को लेखकारोगण ने इस संविदा पत्र हस्ताक्षर करने के पूर्व खरीदार पक्ष से वसूल वो चुका पा चुके हैं ।----

खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो हकूक कब्जा आज तक लेखकारोगण या उनके उत्तराधिकारीगण को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो हकूक कब्जा आज के दिन से मूल्यके कुल रुपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण को प्राप्त हुआ वो भविष्यमें प्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति पर मौसियत सम्पत्ति के मूल उत्तराधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदादमजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लाये वो नाम अपनी बनाय लेखकारोगण के अतिरिक्त बिहार सरकार के जमीदारी विभाग में इस विक्रय- पत्र के माध्यमसे नामांकित करा लेवेंगे। उस वक्त लेखकारी पक्ष को

For Vineet Homes Pvt Ltd
Director

20 Rs.



जो किसीप्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है न कभी होगा वो यदि लेखकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण किसी गफलत नेयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्पत इसकी मकबूर करे तथापि मजबूर के करे तोउनका उजूरदारी या दावा बमोकाबले बैनामा विक्रय- पत्र के रद्द वो गैरकानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नही होगा । ------

लेखकारीगण (विक्रेतागण) ने लेखकारीगण (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकटकिये है और विश्वासदिलाये है कि खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भारसरकारी या गैर सरकारी से पूर्णत: मुक्त वो पाक साफ है वो आज तक लेखकारीगण ने खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरणनहो किये है वो नही लिखे है वो और खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति में पाया जाय या लेखकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण के हस्तक्षेप के पश्चात्वत्य खरीदार पक्ष या उनकेउत्तराधिकारीगणसम्पत्ति के अंश या भू-भाग से बेदखली कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director

10 Rs.



खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण को हो तो ऐसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने क्षति पूर्ति वेबाद रखेदखल या जो भी खर्च उनको अदा करना पड़े उसे मय सूद पिसद सा0 1/= एकरूपया सालवारी के हिसाब से लेखकारीगण या उनके ~~उत्तराधिकारीगण अन्यान्य कानूनी~~ सम्पति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो वेबो कर लेवेगें। उस वक्त लेखकारी पक्षको किसी प्रकारका उजूर वो एतराज न है न कभी होगा। -----

इस वास्ते यह बैशाख निर्विवाद विक्रय- पत्र यानि केवाला लखा कलमी लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाणरहे। ॥ समाप्त ॥

दस्तखत

दिनेश कुमार सिन्हा
॥दिनेश कुमार सिन्हा॥
सिविल कोर्ट दानापुर, पटना।

प्रार्थना पत्र :- [illegible]

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director



For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director



For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

500Rs



For Nirmal Homes Pvt. Ltd.

Director

100Rs



लिहून दो कि मुझे मकान नंबर [illegible]
का लिखी लेखपत्र रजिस्टर्ड बैंक [illegible]
अड़तालीस हजार रुपये आज
इकरारनामा लिखा जाने के समय रुपया
मिलने का कबूल करके इस्तिफाकिया देते हैं
लिहाजा मैंने मुआ नं. 2 को मौके पर ही
उसके मुकम्मल पूरी रकम रुपये
ईपी करके यह इकरारनामा
मुकम्मल दे बेचने पर तैयार हो गया
[illegible]
[illegible] का आपके
तन मन की स्वीकार करके [illegible]
लोकहारी और सिंघ सीमेंट को खाता
नं. 2 के मौके पर ही इकरारनामा
के हाल लाने ४८००० अड़तालीस
हजार रुपये का [illegible]
खेत का खातेदारी कब्जा का [illegible]
खेत ४८००० अड़तालीस हजार
रुपये का मकान [illegible] का [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

For Vipasi Homes Pvt. Ltd.
Director

40 Rs.



For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

40 Rs.





1- नाम लिखकारीगण : 1- श्री विजय कुमार देव
2- श्री विनोद कुमार देव
3- श्री अजय कुमार देव
4- श्री संजय कुमार देव
सभी के पिता का नाम स्वर्गीय लाल मोहन देव
निवास स्थान पानापुर गोला पर बिघली गली थाना दो पत्रालय दानापुर, जिला पटना ।
भारतीय नागरिक ।

for Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

1000Rs



2- नाम लेखधारीणी : श्री इन्दु देवी धर्म पत्नी श्री विरेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम एवं पत्रालय माधोपुर, थाना बख्तियारपुर, जिला पटना । भारतीय नागरिक ।

3- लेख प्रकार : निर्विवाद हित्थ पत्र यानि ~~लेखक~~ पूर्ण खरीदी।

4- मूल्यांकन : रो० 49,500/- (उनचास ~~हजार पांच सौ~~ रो रुपया) मात्र ।

5- सम्पत्ति का सम्पूर्ण ब्यौरा : (1) कट्ठा 2 धूर (एक कट्ठा दो धूर सरकारी अभिसिंचित एक फसला हरीकत रैयती खासरे नगदी वाके माधा दानापुर शहजादपुर, परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना अन्दर पटना ईस्टर्न विकास प्राधिकार वाके है । मगर ~~सरकारी राजस्व~~ अभिलेख में भूमि कृषि योग्य दिखाया गया है वो आज तक कृषि कार्य हो रहा है । जिसकी चौहदी संख्या -

Director



- 3 -

15 सी० (पन्द्रह सी०), थाना संख्या-2। (दो), खाता संख्या-629 (छह सौ उनतीस), भौ खेसरा संख्या-1032 (एक हजार बत्तीस) का अंश भाग जिसकी सलाना लगान मो० 0.40 पैसा जमींदारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर (पटना)।

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
सर्वे प्लौट नं०-103। विजय कुमार देव	श्याम बिहारी पंडित	पार्ट प्लौट नं० 1032 हाल खरीदार विपेन्द्र कुमार।	नीचे

" संदर्भ "

हलिया यह है कि इस बिक्रय पत्र के खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति एवं अन्य सम्पत्ति को श्रीमती राम दासी कुंवर धर्म पत्नी श्री गुरू नारायण दास निवास स्थान दानापुर शहजादपुर, थाना दानापुर, जिला पटना में

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

1000Rs.



वजरिये पत्रिका हेवाला तथा बैनामी मरकुमा तारीख 06-01-1936 ई० को नविस्ते शेख इलाही बख्श पिता का नाम शेख नूर वो शेख अब्दुल मजीद वल्द शेख जोहा बख्श वो मो० वशीरन जौजे शेख मोहल्ला निवासी कस्बा दानापुर, थाना दानापुर, जिला पटना से क्रय करके लिये थे। जिसका पुस्तक संख्या-1, जिल्द संख्या-9, पृष्ठ संख्या-103 से 107, निबंधन संख्या-77 सन् 1936 ई० निबंधन कार्यालय दानापुर दर्ज है। वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर अपने जीवन काल तक उक्त भौमती रामबास्ते और तथा काबिज दखील रहकर अपने सब पुत्रगण क्रमशः श्री विद्याभूषण देव वो श्री लाल मोहन देव वो श्री [illegible]मोहन देव वो श्री सत्यदेव प्रसाद वो श्री बलदेव प्रसाद वो श्री शम्भू नाथ दास को अपना संयुक्त वारिस जायज छोड़कर अरसा दराज हुआ के तहाल बामकाम इजमाल स्वर्गवास कर गई। वो बाद स्वर्गवास अपनी माता के उक्त सभी भ्रातागण अपने समस्त इजमाली सम्पत्ति पर काबिज दखील हुए थे रहे। बाद में उक्त सभी भ्रातागण ने अपने समस्त सम्पत्ति का आपसी बंटवारा वजरिये

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director

500Rs.



पंचान फैसला के कर लिया । जिसके अनुसार खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति श्री लाल मोहन देव को खास दाज एंव हिस्सा में मिला जिसपर उक्त श्री लाल मोहन देव ताजिन्दगी स्वयं काबिज दाखिल होकर तो रहकर अपने चार पुत्रगण लेखयकारीगण को अपना वारिस जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये । वो बाद स्वर्गवास अपने पिता के लेखयकारीगण उपरोक्त खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति पर बहैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर तथा सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था करके सम्पत्ति के सत्पैतित आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते रहे हैं वो है । जो लेखयकारीगण का नाम वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमिन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या सन् 1997-98 में दर्ज पाया गया है ।

लेखयकारीगण को तत्काल बिक्री अन्य फायदेमन्द सम्पत्ति के लिये रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री लेखयकारीगण नहीं करते हैं तब तक रूपयों का

पेशी दिनांक 25.3.98.

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



शीघ्र प्रबन्ध करना लेखकारीगण के बारते वर्तमान आय से प्राय: मुश्किल है ।

अतएव लेखकारीगण ने खैरियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी को स्वामी को हकदार को दखलकार होकर को रहकर अपने तन मन की स्वस्थावस्था में आने शुभ चिन्तकों एंव कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव को हराव को धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति को यथानुसार उचित मूल्य मो० 49,500/- (उनचास हजार पांच सौ रुपयारे मात्र में लेखकारिणी खाने नं० 2 के बेचा को उचला कलामी किया को लेखय निष्पादन का सहीं स्वीकार किया ।

मूल्य के पूरा रुपयों को लेखकारीगण ने खरीदार पक्ष से इस दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर बनाने के पूर्व ही नगद वसूल को लेखक पा चुके हैं ।

खाने नं०-5 के वर्णित सम्पत्ति में किसी भी हक को दखल

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



कब्जा आज तक लेखकारीगण या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहेगा वे सब कुल हक जो दखल कब्जा आज के दिन से मूल के कुल रुपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा । खरीदार खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति पर बैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकूर को जिस प्रकार से चाहें अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो काम अपनी बजाय लेखकारीगण के बसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस हिस्तुष्य पत्र के माध्यम से नामांकन करा लेवेंगे । उक्त बाबत लेखकारीगण को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है न कभी होगा वो यदि लेखकारीगण या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निरस्त, खराजी मजकूर और सम्मन मजकूर के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा बमोकाबले लिखित हिस्तुष्य पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कार्रवाई करने योग्य नहीं होगा ।

सभी विषय वस्तु देखे
दि: 25.3.98.

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



लेखकारीगण (विक्रेताओं) ने लेखपाल (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये हैं और विश्वास दिलाये हैं कि खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट तो ऋण भार सरकारी या गैर सरकारी से पूर्णत: मुक्त तो थी ही साथ ही वो आज तक लेखकारीगण ने खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं तो नहीं लिखे हैं । तो अगर खिलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट तो ऋण भार सरकारी तो गैर सरकारी खाने नं0 -5 में वर्णित सम्पत्ति में पाया जाये या लेखकारीगण या उनके उत्तराधिकारी गण के वक्तव्य के अलावा खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण सम्पत्ति के अंश या कुल भू-भाग से बेदखली कर दिये जाये जिससे किसी किस्म से कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो ऐसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने क्षति पूर्ति बाबत बेदखली या जो कुछ ऋण भार उनको अदा करना पड़े उसे सह सूद फिक्र मो0 1/- (एक रुपया) माहवारी के हिसाब से लेखकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण के अन्यान्य चलाचल सम्पत्ति से कानूनी कार्रवाई करके वसूल कर लेवेंगे । उस वक्त लेखकारीगण को किसी प्रकार का उज्र ओ एतराज

सही विजय कुमार जैन
दि: 05.3.98

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



5R$

न है न कभी होगा ।

इस वास्ते यह प्रतिवाद पत्र सादर पेश कर [illegible]

[illegible] दिया कि समय पर काम आवे यही प्रमाण है । [illegible]

साक्षीगण का हस्ताक्षर :-

1- [illegible] 25-3-98

2-

लेखकारीगण का हस्ताक्षर :-

सही विजय कुमार देव
ता: 25.3.1998.

विनोद कुमार देव
ता: 25-3-98

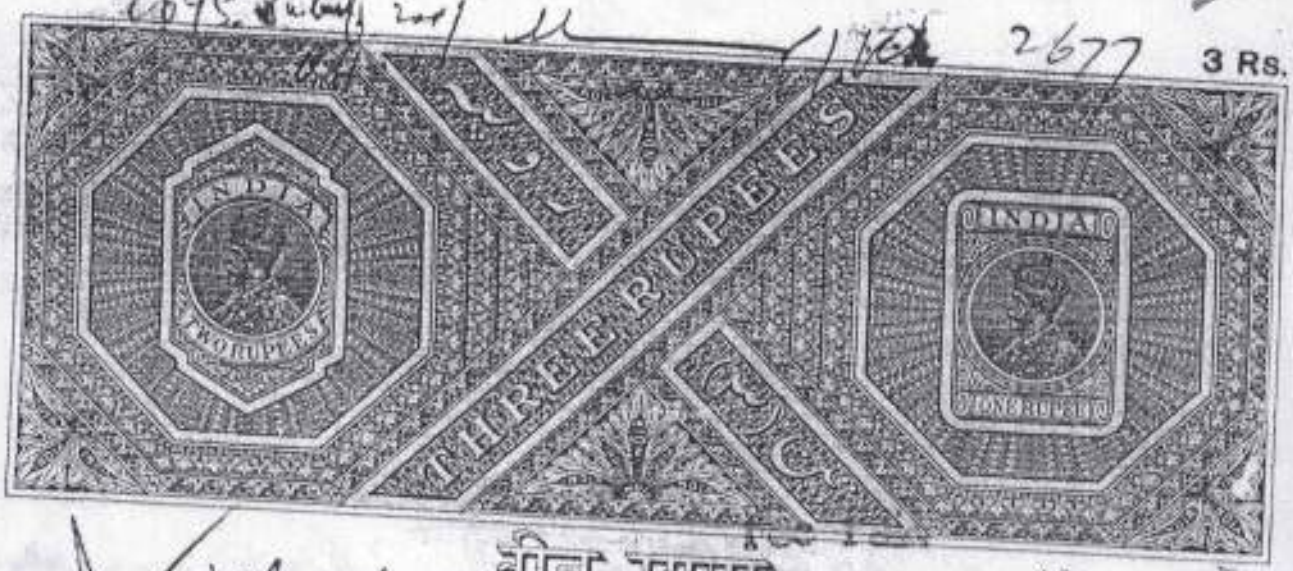
राजेश कुमार पांडे
ता: 25-3-98

[illegible]

टंकक :-
Rakesh Kumar Gupta
[illegible]
सिविल लोर्ट, दानापुर,
पटना ।

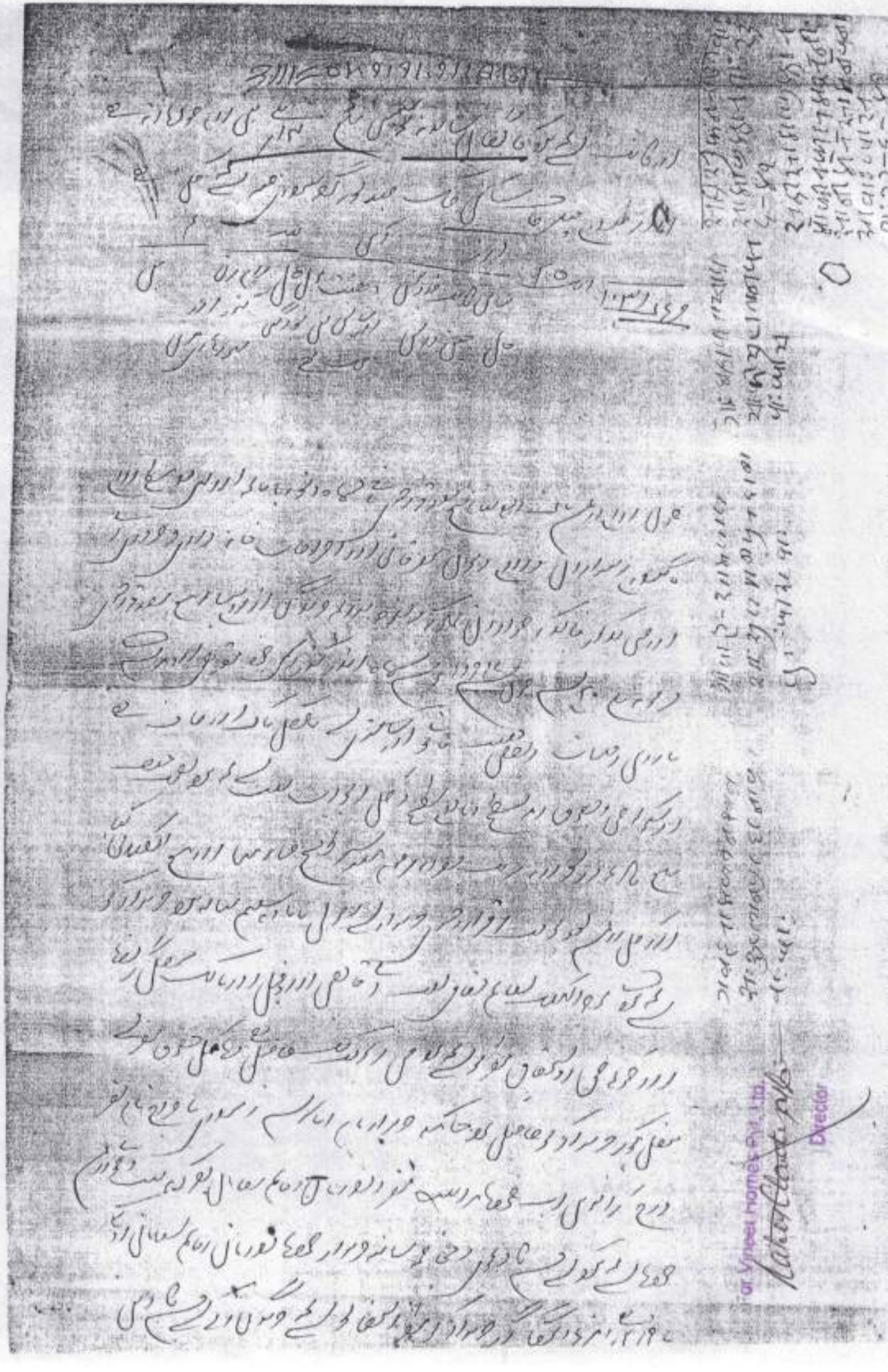
[illegible]

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director



For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director

दस्तावेज नं॰ 2677 स्टाम्प 3 रुपया

नाम मौकिर :-

शेखन राउत पल्द पुरन राउत मौतपका जात गोपाला पेसा का

साकिन सुलतानपुर मौतलके दानापुर परगना फुलवारी थाना दा

जिला पटना

नाम मौकिर औह :-

सखीचन्द लाल पल्द गोपाल राम मौतपका जात कुम्हार पेसा क

साकिन सुलतानपुर मौतलके दानापुर परगना फुलवारीथाना दान

जिला पटना

किसीम दस्तोका :-

कैवाला बैय

तादाद जरसमन :-

मौपलिग 200 रुपया

तादाद सैय मौक्हैया :-

मपाजी 25 डोसिमल अराजी हकियत कासत रैयती कायमी नकदी

मौजे दानापुर सहजादपुर परगना फुलवारी थाना दानापुर जिला

मुन्तलमा नं॰ 15 लाखराज थाना नं॰ 21 मुन्दर्जे खाता नं॰ 779

रजिस्टरी दानापुर सदर पटना और कासत सैय मौक्हैयाहाजा क

लगान सालानामय बेशेश मौपलिग 3 रुपया 14 आना है और

जमींदारी मिस्र साहब साकिन चक सैदपुर परगना फुलवारी वगैरा

for Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

तैय मोवईयाजुलहै

कारा नं॰	अराजी	उतर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
1031	25 डी॰ सातिक कासत पुदा पक्का हाल जितन दास	धनपत हाल और सातिक मे नौरंगी लाल है	रामपरन कुअर और शिवधारी महतो	पईन	

ये अदाय जरसमन वक्त इसाकाबेयालाबैय मोसदके रजिस्टरी याफ्तनी मोसमात
स्तवरीपा और मो पासते अदाय मालगुजारी जमींदारान व अदाय देन मो
और अबराजात वानादारी व जरूरी अपने अराजी मजकुर बाला के जो अबा
ममलुका व मकबुजा कारिये खरीदगी अजल्पे केबालाबैय मोसदके रजिस्टरी
मरकुमा तारीख 20 जुन सन 1917 ई० नफिसतां इन्दर कुअर इसमो खुद
मोकिर है और हरकिसोम के तारदेन व वलिसात व नुकस हकिकत कानुनी
और तासतरो से बिलकुल पाक व तरफे उसको मय हक व हकुक जमा आवादी
जमा कुल अदाय निसबत तैय मोवईयाहाजा वकोमत अदल मोवलिग 200 रुपया
वदसत मोकिर अलेह पेला शर्त पिसय वेयार बेवा और बैयलाकलामीकिया
और कुल जरसमन वकाल एकरार रजिस्टरी खरीदार से वसुल पाया व तसलिम
केबाला हाजा खरीदार को तैय मोवईयाहाजा के हुआ वकायम मोकामी जात
काबिज और दाखिल और मालिक मुसतकिलगरदाना और उसे कुल हक व
इसतहकाक मोकर को तैय-मोवईया हाजा मे इसवक्त तक हासिलहै वह कुल
हकुक मोकिर से मुन्ताकिल होकर खरीदार को हासिल हुआ चाहिये के खरीदार

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

नाम अपना खरीदार चौदारी पअवराज नाम मोकिर दर्ज करालेवे अब
बाद आइन्दा मोकिर व पारसान व कायम मोकामान मोकिर को
निसबत वसुली जरसमन बाद तैय मोवईया हाजा किसी किसोम का दावे
मवाखजा सब्ब खरीदार बाद पारसान कायम मोकामान उनके पाको
नही है व न रहा व न होगा अगर खरीदार को वनजर इसफाज तैय
मजेब= मोवईया खरीदगी अपने किसी किसोम का दैन किसी सख्स को
अदाय करना पडे बाद जुज पाकुल तैयमोवईया [illegible] मे नुक्स हकियत
व जपाल हकियत कब्जा दखल से खरीदार के बाहर निकल जावे या किसी
किसोम का तफुल व फुर पाके होवे तो उसवक्त खरीदार मुसतहक इसतर
फुल जरमकाय अपना मय सुद वहिसाब फिसद मोवलिग । रुपया माहव
अज तारीख अदायकारी दैन ता रोज वसुल जुज पा कुल जरसमन अपना म
तावान व खारा अज तारीख पेशकली पकदर नुक्सहकियत व जपाल वगैरह
ता ता रोज वसुल पहरजाय नालिस जात व माल व दीगर जावदाद
मनकुला वगैरमनकुला आम हरसकसाम से मोकिर बाद पारसान कायम
मोकामान मोकिरा के होगे इस वासते केफालाबेय हाजा लिखीदया के
वक्त पर काम आवे

तहरीर तारीख 23 जुन सन 1941 ई०

For Nagpal Homes Pvt. Ltd.
Director

सही तुफन राउत बैथलाबलामो लिखा तोसही मजमुन श्लोकात्तीय से पढ़ाकरसुन लिया समझलिया पाकलम रामा कुम्हार तारीख 23·6·41।

सही रामा कुम्हार मौकिर कलम से निशानी मैरेतामने बनाया

पाकलमखास तारीख 23·6·41।

गवाह ननदु लाल साकिन सुलतानपुर दानापुर पाकलमखास

गवाह राम करन साव साकिन सुलतानपुर दानापुर पाकलमखास

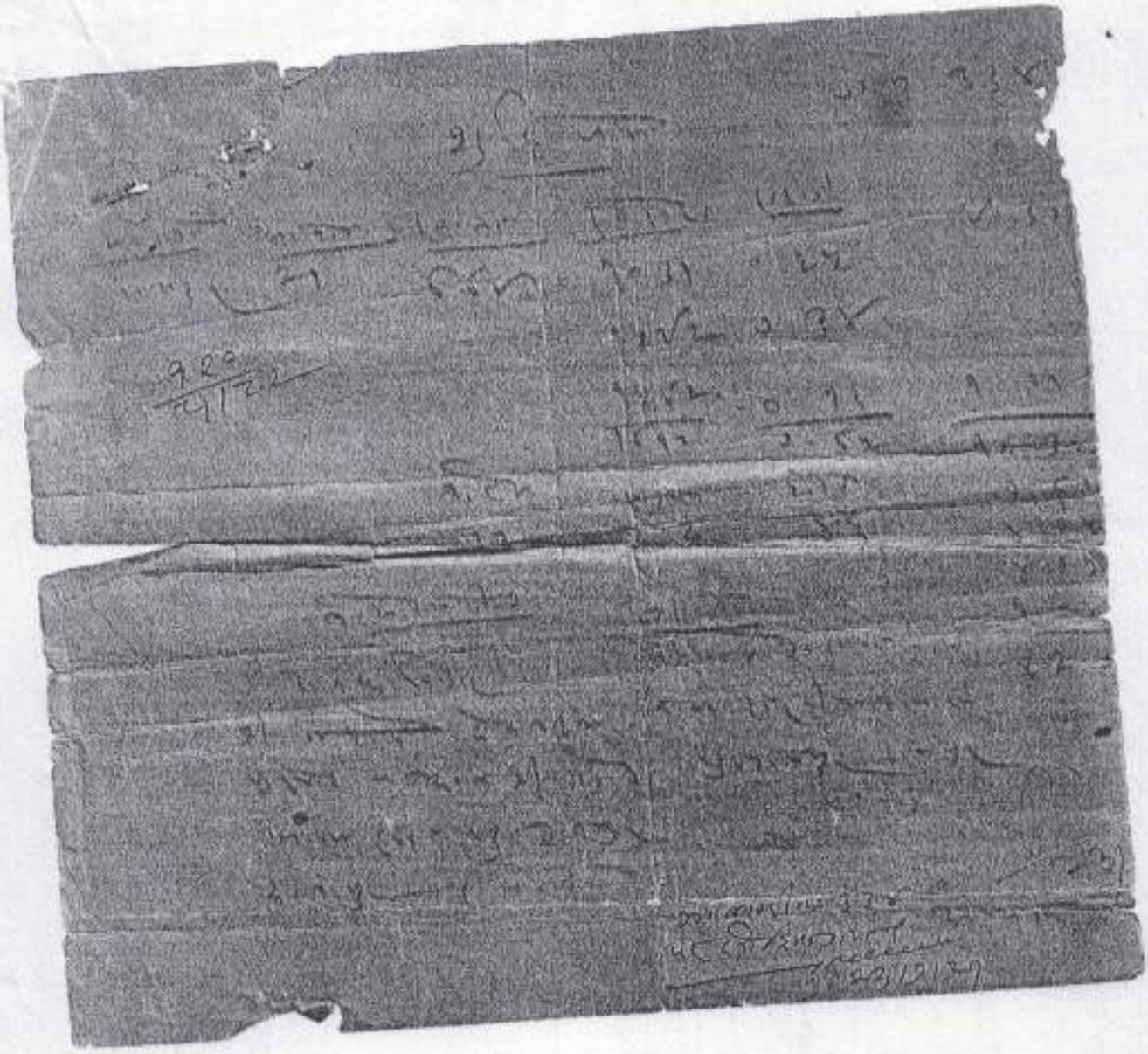
गवाह राम लाल साकिन सुलतानपुर दानापुर पाकलमखास

गवाह महावीर साव साकिन सुलतानपुर पाकलमखास

पुस्तक सं॰ 1 जिल्द सं॰ 24 पेज सं॰ 74 से 76 श्लोक नं॰ 2677

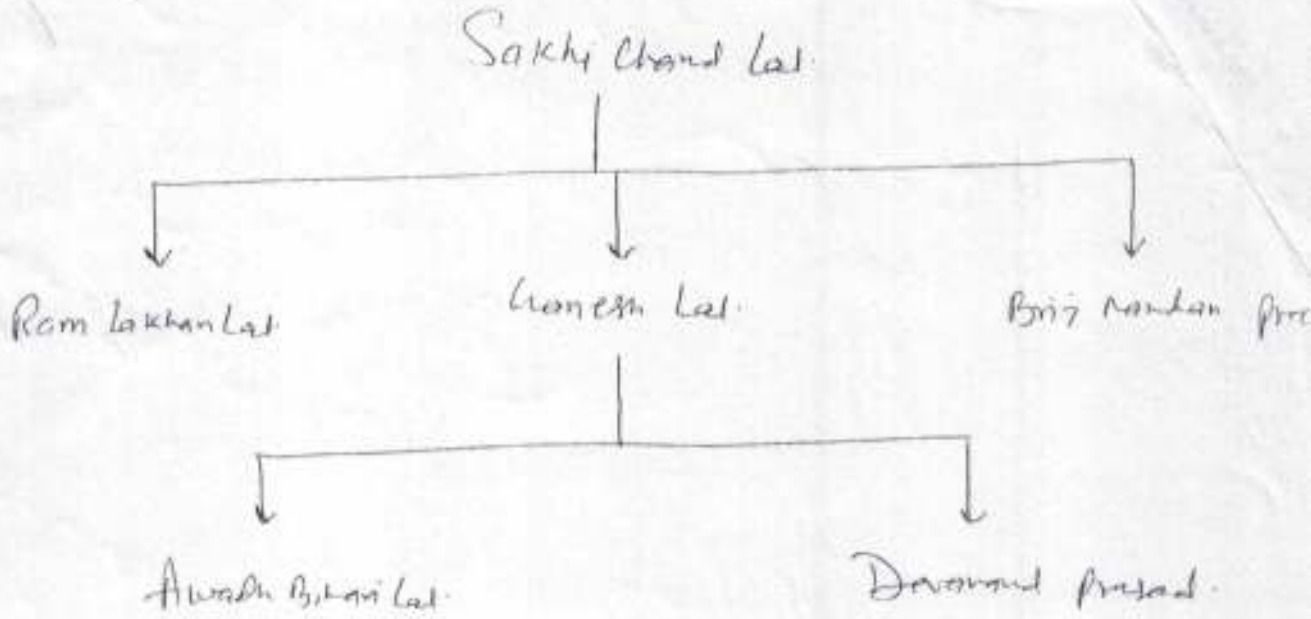
साल 1941 ई॰

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director



For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director



For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director

अनुसूची १४ — प्रारूप सं १६२

₹10
BIHAR COURT FEE

आदेश – पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक १९४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक वा० से

..... से सन् १९

पक्ष का प्रकार दा० मा० वाद सं० ... 5149 सन् 98-99

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
6.7.98	आज दिनांक 6/7/98 को राजस्व कार्य के निस्तार के प्रसंग में थाना दानापुर (पटना) में आवेदित केस के श्री विनोद कुमार बल्द श्री विश्वेन्द्र प्रसाद ग्राम धारमौली थाना खगौल जिला पटना ने निम्नलिखित जमीन का नामांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है जिसे वसीका संख्या 1915 दिनांक 11.4.98 द्वारा से उन्होंने श्री विनय कुमार बेक बकील बल्द [illegible] ग्राम दानापुर थाना दानापुर जिला पटना के क्रय किया है।	

for 898
3/10/98

जमीन विवरण

मौजा	थाना एवं थाना नं०	तौजी नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा
दानापुर	21	2.2	9039	58	1.54

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। [illegible] को उपस्थित करें।

अभिलेख दिनांक 6/7/98 अंचलाधिकारी

जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन :—

१) रैयती है।
२) आवेदक के पूर्ण दखल में है।
३) अमावन्दी के नाम से कायम है।

2.7.98

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

Certified to be true Copy
[illegible]

तुलना करो

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो तो उसके बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	इनको अनुज्ञप्ति दामांकण हेतु है। कैम्प में उपस्थित व्यक्तियों से दामांकण पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है। [illegible]	
	अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुज्ञप्ति से सहमत होकर आवेदक पक्ष में दामांकण की [illegible] दी जाती है। [illegible]	
	मुद्रि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया। दो प्रति राजस्व अभिकर्ता को दे जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर दें।	

[illegible]

लेखापति

अंचल अधिकारी दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

Certified to be true Copy
[illegible]
Section 63 of the Indian Evidence Act of 1872

तुलना करो

दाखिल खारिज–प्रतिवेदन

₹10
BIHAR COURT FEE

मु० केस नम्बर— 519/98-99
थाम— दानापुर
मु० मे जमीन रकबा—
जरुरत मन

हल्का नम्बर 17
राजस्व थाना नम्बर 21
प्राप्त का जरिया— दरखास्त
तिथि 15.9.98

अंचल— दानापुर
जिला — पटना

केवाल - 1545

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 2227
श्री विजय कुमार दुबे विनोद कुमार दुबे अमर कुमार दुबे सुरेन्द्र कुमार दुबे पिता स्व लाल मोहन दुबे	2.2V	9032	0.43	2.02	
बकाश्त रकबा					
नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	
श्री विनोद कुमार पिता श्री विश्वेश्वर प्रसाद सम्प्रति मौजमाफी जिला - पटना	2.2V	9032	52.2	2.02	

V. 05.

Director

Certified to be true Copy
[illegible] 05/10/98

Return Claude Jacob

तहसीलदार

बिहार १४—फारम सं १६२

आदेश – पत्रक

(देखें अभिनेत हस्तक १९४१ का नियम १२६)

₹10

अंचल पंजक से तक

निबंधन से सन् १९

केस का प्रकार दा० मा० वाद सं० ... 553 ... सन् 98-99

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
6.9.98	आज दिनांक 6/9/98 को राजस्व वर्ष के निरस्तर के प्रसंग में ग्राम ... थाना दानापुर (पटना) में आयोजित कैम्प में श्री ... बन्दु देवी पति श्री ... बहन श्री ... ग्राम ... थाना ... जिला ... ने निम्नलिखित जमीन का नामांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है जिसे उसको संख्या 1536 दिनांक 11.6.98 प्रति से उन्होंने श्री ... ग्राम ... थाना ... जिला ... के नाम किया है।	

जमीन विवरण

मौजा	खाता एवं खाता नं०	तौजी नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा
...	...	...	2.2N	9032	5.8

इलका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। ... निबंधन दिनांक ... को उपस्थित करें। 6/9/98 अंचलाधिकारी

जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन :—

१) रैयती है।

२) आवेदक के पूर्ण दखल में है।

३) अगलगदी ... के नाम से कायम है।

6/9/98

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तस्दीक सहित
	इनकी अनुशंसा सामांजस्य हेतु है। केस में उपस्थित व्यक्तियों ने सामांजस्य पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है। अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशंसा से सहमत होकर आदेशक पत्र में सामांजस्य की दी जाती है। शुद्धि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया। दो प्रति राजस्व अभिकर्ता को दें जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर देंगे। 31/01/20 अंचल अधिकारी दानापुर ज्ञापांक अंचल-अधिकारी दानापुर	

Certified to be true Copy

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director

तुलना फाती

दाखिल खारिज–प्रतिवेदन

मु० केश नम्बर– 551/1984 साल–
नाम– दलाली
मु० से जमीन रकबा
परगना

हल्का नम्बर 7
राजस्व थाना नम्बर 9
प्राप्त का जरिया– आदेशपत्र
तिथि 1/6/98

अंचल– दानापुर
जिला– पटना

केवाल – 1946

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 9933
राजेश कुमार देव, निर्मल कुमार देव उमा कुमारी देवी, पूनम कुमारी देवी मार्फत एम० एम० सिंह एण्ड देव	2.2✓	9497 9532	0.4 0.2.9 0.3.9	2.34	[illegible]

बचाहुआ रकबा
4p 899 3/10 sft

नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान
श्रीमती उषा देवी पत्नी किशोर प्रसाद [illegible]	2.2✓	7032	5.9.2	9.00

2.0.18
[illegible]
23/11/98

Certified to be true Copy
[illegible] 03/10/22

VINEET HOMES PVT. LTD.
Director

तुलना करो

अनुसूची १४—फारम सं ४६२

आदेश – पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक १९४१ का नियम १२६)

₹10

BIHAR COURT FEE

वाद पत्रक सं० वर्ष सन् १९

जिला में सन् १९

केश का प्रकार दा० सा० वाद सं० 114/18 सन्

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
12.5.18	आज दिनांक 12.5.18 को राजस्व थाने के निरन्तर के- प्रसंग में ग्राम थाना दानापुर (पटना) में- अधोहस्ताक्षरित कर्मचारी को वाद की ग्राम थाना जिला ने निम्नलिखित जमीन का नामांकन हेतु आवेदन पत्र दिया है जिस जमीन का रकबा 1185 दिनांक 13.3.18 यानि से उपरोक्त की वाद ग्राम थाना जिला के पक्ष किया है।	

जमीन विवरण

मौजा	थाना एवं थाना नं०	तौजी नं०	खाता नं०	खसरा नं०	रकबा
.....					

इनका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 23/5/18 को उपस्थित करें।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन :-

१) खाली है।

२) आवेदक के पूर्ण दखल में है।

३) अमावन्दी के नाम से कायम है।

अंचलाधिकारी

Certified to be true Copy

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	इनकी अनुशंसा समर्थन हेतु है। बैंक से हस्तांतरित स्वत्वियों ने समर्थन पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है। अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशंसा से सहमत होकर आवेदक पक्ष में समर्थन की जाती है। शुद्धि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया। दो प्रति राजस्व अभिलेखों की है दो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर दें।	

910
3/10/22

वेलागति

अंचल अधिकारी दानापुर

अंचल-अधिकारी
दानापुर

Certified to be true Copy

Authorised under Sec. Act of 1872

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

दानापुर कार्यालय

दाखिल खारिज–प्रतिवेदन

₹10
BIHAR COURT FEE

मु० केस नम्बर— 114 साल— 98-99 हल्का नम्बर 17 अंचल — दानापुर
ग्राम— [illegible] राजस्व थाना नम्बर 91 जिला — पटना
मु० मे जमीन रकबा— प्राप्त का जरिया— [illegible]
जरीमन केवाल -1.88 तिथि 23.9.98.

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 9999
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

बचाइआ रकबा				

नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Certified to be true Copy
[illegible] 3/10/20
Authorised under Sec 76 of 1872

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

अनुसूची १४–फारम सं ५६१

आदेश--पत्रक

शिविर

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक ता०..... से..... तक

जिला..... से सन् १९.....

केस का प्रकार दा० खा० वाद सं०..... 615 सन् 91-92

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
12/9/91	आज दिनांक 12/9/91 को राजस्व कर्मचारी के निस्तार के प्रसंग में ग्राम धानापुर थाना-दानापुर (पटना) में आयोजित कैम्प में श्री पिता श्री ग्राम थाना (पटना ने निम्नलिखित धर्मोत्तर का तामीलगत हेतु आवेदन-पत्र दिया है जिसे वसीका सं० दि० 26/7/91 प्रति से इन्होंने श्री वल्द श्री ग्राम थाना दानापुर (पटना) से क्रय किया है जमीन विवरण	

मौजा	थाना एवं थाना सं०	खोदी सं	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	निर्देश के नाम एवं वसीका सं०
धानापुर-धानापुर 21				829 - 1833 - 0-1458		

कैम्प में उपस्थित क्षेत्रीय राजस्व कर्मचारी /पे० से० और अंचल निरीक्षक से आवेदित जमीन के सम्बन्ध में स्थानीय तौर पर और राजस्व कागजों से जांच कराई गई।

जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन :—

(१) रैयती है।

(२) आवेदक के पूर्ण दखल में है।

(३) जमाबन्दी के नाम से कायम है।

For Vinayak Homes Pvt. Ltd.
Director

Certified to be true Copy
Authorised under sec. 76 Act of 1872

COURT FEE
Rs 100.00
375303
BIHAR
4558 7423

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	इसकी अनुशंसा नामांकन हेतु है । कैम्प में उपस्थित व्यक्तियों ने नामांकन पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है । अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशंसा से सहमत होकर आवेदक पक्ष में नामांकन की.....दी जाती है । शुद्धि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया । दो प्रति राजस्व अभिकर्ता को दें जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर देंगे । अंचल अधिकारी, दानापुर लेखापित अंचल-अधिकारी दानापुर	

for Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director
Certified to be true Copy
Authorised under sec. 76 Act of 1872

...का कर्मचारी का दाखिल खारिज प्रतिवेदन

केस नं० 6245
भागलपुर
दाखिल खारिज में जमीन का रकबा 0-98 डि.
पूरा या टुकड़ा होल्डिंग टुकड़ा
जर सम्मन

साल 91-92
राजस्व थाना भागलपुर

हल्का नं० 6
थाना नं० 29
प्राप्ति का जरिया अधिकारी
कमलात नं० 4220
आवेदक का पेशा

मंडल भागलपुर
जिला भागलपुर
तिथि 26.6.17

अ.ब.न. 2942	श्री संदीप कुमार पिता श्री मिश्रलाल सिंह सा० आदमपुर भागलपुर	260 228 226 222	9223 9452 9927 9933	2-22½	39-19	
	11	11	11	2-02½	30-89	
	श्रीमती इन्दु देवी पति-श्री विजेन्द्र प्रसाद सा०-आदमपुर थाना-कोतवाली भागलपुर	222	9033	0-98½	9-40	

आदेश

वि०कृ० पत्र का दावा प्रति० देखा जमीन सर्वे से देखने पर दावा ठीक है पंजी II में विक्रेता का नाम अंकित है जमीन क्रेता के कब्जा में है)

अतः दाखिल खारिज की कार्रवाई की जा सकती है)

श्रीवास्तव
सी०ओ०
भा०

ओ०ओ० द्वारा
दाखिल किया गया
एकत्र हो

12-8-17

अ०/1

Certified to be true Copy
13/6/18
Authorised under sec. 76 Act of 1872

तुलना करा

अनुसूची १५-फारम सं० ४६६०

शिविर

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक ता०..... से..... तक

जिला..... के सन् १९.....

केस का प्रकार दा० सा० वाद सं०..... 728 सन 91-92

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
26/8/91	आज दिनांक 26.8.1991 को राजस्व कर्मचारी के निस्तर के प्रसंग में ग्राम थाना-दानापुर (पटना) में आयोजित कैम्प में श्री वल्द श्री ग्राम थाना (पटना से निम्नलिखित जमीन का नामांकण हेतु आवेदन-पत्र दिया है जिसे वसीका सं०..... दि० 25/7/91 प्रति से इन्होंने श्री वल्द श्री ग्राम थाना दानापुर (पटना) से क्रय किया है	

जमीन विवरण

मौजा	थाना एवं थाना नं०	तौजी नं	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	विक्रेता के नाम एवं वसीका सं०
दानापुर-दानापुर			828	1033-0-145		

21

कैम्प में उपस्थित क्षेत्रीय राजस्व कर्मचारी / पे० से० और अंचल निरीक्षक से आवेदित जमीन के सम्बन्ध में स्थानीय तौर पर और राजस्व कागजों से जांच कराई गई।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन :—

(१) रैयती है।

(२) आवेदक के पूर्ण दखल में है।

(३) जमाबन्दी के नाम से कायम है।

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

इसकी अनुशंसा नामांकन हेतु है । क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों ने नामांकन पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है ।

अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशंसा से सहमत होकर आवेदक पक्ष में नामांकन की.....दी जाती है ।

शुद्धि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया । दो प्रति राजस्व अधिकारी को दें जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर देंगे ।

लेखाबित

अंचल अधिकारी, दानापुर

अंचल-अधिकारी
दानापुर

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

Certified to be True Copy
Authorised under Sec. 76 Act of 1872

हल्का कर्मचारी का दाखिल खारिज प्रतिवेदन

दा० केस नं० 725
नाम ...
दाखिल खारिज में जमीन का रकबा ...
पूरा या टुकड़ा होल्डिंग ...
छह सम्मन

सर्कल ...
राजस्व थाना ...

हल्का नं० 6
गांव नं० 29
प्राप्ति का जरिया ...
कागजात नं० ...
आवेदक का पेशा ...

अंचल ...
जिला ...

तिथि 24-6-19

ज. ब. न. 2902	श्री ...	266	1623	0-69	37-19
		238	1647	0-68	
		226	1922	0-42	
		222	1923	0-22	
				2-29	
2902	...	266	1623		
		220	1922		
		226	1923		
		222	1923		
	श्री ...	222	1923	0-38	2-12

आदेश

विक्रय पत्र का व्यवहार प्रति देखा जमीन रास्ते से सेपती है, रकबा लगि. होने पर्ची से विक्रेता का नाम संशोधन जमीन फैसला के क्रम कायम में

आवेदक / प्रतिनिधि
का हस्ताक्षर या दी जा सकती है

हस्ताक्षर
26-8-19

For Vimpel Homes Pvt. Ltd.
Director

13/6/19

₹10
BIHAR COURT FEE
BRCT1840402045J
19-SEP-2020

आदेश – पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक १९४१ का नियम १२६)

ता० से तक

..... से सन् ११

वाद की प्रकृति ता० वा० वाद सं० 416/95-97

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
12-5-98	आज दिनांक 12-5-98 को राजस्व कार्य के निस्तार के प्रसंग में श्रीमान थाना दानापुर (पटना) में आवेदित कैम्प में श्री विजय कुमार वल्द श्री विरेन्द्र प्रसाद ग्राम दानापुर थाना दानापुर जिला पटना ने निम्नलिखित जमीन का नामांकण हेतु आवेदन पत्र दिया है जिसे वतीका संख्या 1087 दिनांक 18-3-98 प्रति से उन्होंने श्री विजय कुमार वल्द विरेन्द्र प्रसाद ग्राम दानापुर थाना दानापुर जिला पटना के नाम किया है।	

जमीन विवरण

मौजा	थाना एवं थाना नं०	तौजी नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा
दानापुर	99		228	4032	.592

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन की मांग करें Amrendra Kumar Singh
अभिलेख दिनांक 25/5/98 को उपस्थित करें। 12/5/98 अंचलाधिकारी

जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन :—

१) रैयती है।
२) आवेदक के पूर्ण दखल में है।
३) जमाबन्दी ~~Certified to be~~ के नाम से कायम है।

Certified to be true copy
Head Clerk
Authorised u/s 76 Act of 1872

Vinayak Homes Pvt. Ltd.
Director

For Vinayak Homes Pvt. Ltd.
Director

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित

इनकी अनुशंसा नामांकन हेतु है। ~~कैम्प में उपस्थित व्यक्तियों ने नामांकन पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है।~~

अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशंसा से सहमत होकर आवेदक पत्र में नामांकन की स्वीकृति दी जाती है।

शुद्धि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया। दो प्रति राजस्व अभिकर्ता को दें जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर देंगे।

23/10/18

आदेशपति

अंचल अधिकारी दानापुर

अंचल-अधिकारी
दानापुर

₹5

Certified to be true Copy
03/10/18
Head Clerk
Authorised under sec. 76 Act of 1872

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

तुलना कर्ता

₹10
BIHAR COURT FEE
SRCT1848450204S2
18-SEP-2020

दाखिल खारिज–प्रतिवेदन

मु० केस नम्बर– 116 साल–98-99
ग्राम–
मु० मे जमीन रकबा–
परस्पर मन

हल्का नम्बर
राजस्व थाना नम्बर–
प्राप्त का जरिया–
तिथि

अंचल– दानापुर
जिला– पटना

केवाल – 1087

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 9337
विजय कुमार देव किशोर कुमार देव उमेश कुमार देव एवं शांति लालमोहन देव	२४	9042 9032	0.40 0.02 0.42	२-१५	जमीन दोषपूर्ण तथा जमाबंदी विवादित नाम में की आवेदक ने निगम परिसर जमाबंदी उपलब्ध का दर्शित कर अपील कथा में दाखिल खारिज की मांग की है जमीन पर कब्जा
बचाहुआ रकबा					
9032 बालमुकुंद					

नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान
1. विकास कुमार 2. विरेन्द्र प्रसाद 3) थाना नीलमणि सिंघा	२४	9032	0.02	0.00

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

Certified to be true Copy
Director
Head Clerk
Authorised under sec. 76 Act of 1872

तुलना करो

अनुसूची १४—फारम सं ४६२

आदेश – पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक १९४१ का नियम १२६)

₹10
BIHAR COURT FEE
18-SEP-2020

आदेश पत्रक ता० से तक

जिला से सन् १९

वाद का प्रारूप दा० सा० वाद सं० 5270 ... सन् ...

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
6.7.98	आज दिनांक 6/7/98 को राजस्व कर्मचारी के निरसतर के प्रसंग में श्री ~~राम~~ बाला दानापुर (पटना) में आयोजित कैम्प में श्री विक्रम कुमार वल्द श्री विरेन्द्र प्रसाद ग्राम आयोधी थाना बिक्रमगंज जिला पटना ने निम्नलिखित जमीन का नामांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है जिसे वसीका संख्या 1922 दिनांक 25.4.98 प्रति से उन्होंने श्री तिजय कुमार देवशरण वल्द स्व० लाल मोहन देव ग्राम ओरगाप थाना दानापुर जिला पटना के नाम किया है।	

जमीन विवरण

मौजा	थाना एवं थाना नं०	तौजी नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा
दानापुर	27		22	9032	52.115

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। मामला पटना निगरानी को 9/7/98
अभिलेख दिनांक 25/7/98 को उपस्थित करें। 6/7/98
जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन :— अंचलाधिकारी

१) रैयती है।
२) आवेदक के पूर्ण दखल में है।
३) जमाबन्दी ~~Certified to be true~~ के नाम से कायम है।

Certified to be true Copy
Authorised under Sec. 76 Act of 1872

रानी कुमार, 03/10/20
तुलना कर्ता

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

फा० 900 ओ०फा०

फा० दिनांक 20.7.98

प्रपत्र

(2)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	बाद में टिप्पणी यदि कोई हो तो तारीख सहित
	इनकी अनुशंसा नामांकन हेतु है। कॉलम में उपस्थिति व्यक्तियों ने नामांकन पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशंसा से सहमत होकर आवेदक पत्र में ... दो नामांकन की ... जाती है। शुद्धि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया। दो प्रति राजस्व अभिकर्ता को दें जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर देंगे। 29/7/98 लेखापति अंचल अधिकारी दानापुर अंचल-अधिकारी दानापुर	29/7/98

Certified to be true Copy
03/9/20
New Delhi
Authorised under sec. 76 Act of 1872

For Vodafone Idea Ltd.
Director

तुलना करो

₹10
BIHAR COURT FEE
SRCT1845832043J
18-SEP-2020

दाखिल खारिज–प्रतिवेदन

मु० केश नम्बर– 55/19-20 साल–
थाना– दानापुर
मु० से जमीन रकबा–
जरथामन
हल्का नम्बर 17
राजस्व थाना नम्बर– 21
प्राप्त का जरिया– दरखास्त
तिथि
अंचल– दानापुर
जिला– पटना

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 5923
विनय कुमार देव निरोद कुमार देव अरुण कुमार देव दिनेश कुमार देव पिता स्व लालमोहन देव	224	1092 1092	0-20 0-22 0-42	2.00	आवेदक द्वारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया है। आवेदक द्वारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया है। आवेदन दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया है। आवेदक द्वारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया है।

बचाहुआ रकबा

Rs. 900 30/09/20

नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान
श्री विकास कुमार पिता श्री निरेन्द्र प्रसाद ग्राम मोहनी थाना बाढ़ जिला– पटना	224	1092	52.1113	2.00

V.O.'S'

30/9/20

Certified to be true Copy
For Vineet Homes
Director
Authorised under sec. 76 Act of 1872

तुलना कर्ता

₹10
BIHAR COURT FEE
BRCT1048447045J
18-SEP-2020

प्रपत्र १४—पारम्भ में ५६२

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक पा० से तक

जिला के अनु ११

केश का प्रकार दी० सा० मामूद सं० वर्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
13-9-18	आज दिनांक 13.9.18 को राजस्व कार्य के निस्तार के प्रसंग में ग्राम थाना दानापुर (पटना) में आवेदित/वादग्रस्त में श्री बनाम श्री ग्राम थाना जिला ने निम्नलिखित जमीन का सत्यापन हेतु आवेदन पत्र दिया है जिसे पटीता संख्या 1206 दिनांक 5.3.18 प्रति से उल्लेखित श्री बनाम ग्राम थाना जिला के क्रय किया है।	

जमीन विवरण

मौजा	थाना एवं थाना नं०	तौजी नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा

इसका कर्मचारी एवं हल्का निरीक्षक के माध्यम से आख प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक को उपस्थित करें।

अंचलाधिकारी

जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन :—

१) रैयती है।

२) आवेदक के पूर्ण दखल में है।

३) जमाबन्दी के नाम से कायम है।

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

₹5
BIHAR COURT FEE

(2)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश एवं की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख सहित
	इसी अनुशंसा हेतु है। केस में उपस्थित व्यक्तियों ने सामंजस्य पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है।	
	अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशंसा से सहमत होकर आवेदक पक्ष में सामंजस्य की [illegible] दी जाती है।	
	शुद्धि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया। दो प्रति राजस्व कर्मचारी को दे दो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर देंगे।	

तैयार की।

अंचल अधिकारी दानापुर

अंचल-अधिकारी
दानापुर

Certified to be true Copy
[illegible] 09/10/20
Head Clerk
Authorised under [illegible] of 1872

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

तुलना करो

₹10
BIHAR COURT FEE

दाखिल खारिज–प्रतिवेदन

मु० केस नम्बर— 115 साल 18-19 हल्का नम्बर 13 अंचल— दानापुर
थाना— [illegible] राजस्व थाना नम्बर 31 जिला – पटना
मु० में जमीन रकबा— प्राप्त का जरिया— [illegible]
खरीदमन केवाल – 1096 तिथि 23.03.

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

जमाबंदी नम्बर [illegible]

बकाइत रकबा				
[illegible]				

नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

Certified to be true Copy
[illegible] 03/12/20
Authorised

बिहार भूमि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

चालान सं
Running Unique No : 0550757203
(Receipt No.)

लगान रसीद

जिला - Patna	अंचल - Danapur
हल्का - नगर परिषद दानापुर	मौजा - दानापुर
जमाबंदी नं० - 5463	
भाग संख्या - 17	मौजा जमाबंदी नं० - 21
एच.ई.एल. - 28396	
जमाबंदी रैयत का नाम - VIVEK KUMAR	
अभिभावक का नाम - BIRENDRA PRASAD	पता - MADHOPUR, BAKHTIYARPUR, PATNA

खेत्र फल(ए)	खेसरा संख्या	रकबा डिसमिल
0.20	1032	0 एकड़ 0.562 डिसमील 0 वर्ग फ

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2020-2021 से 2020-2021
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	29.00	1.00	29.00	0.00	30.00	2020-2021 से 2020-2021
कुल	49.00	0.00	49.00	0.00	50.00	2020-2021 से 2020-2021

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियु
लगान	0.00	20.00	20.00	2020-2021 से 2020-2021	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	29.00	30.00	2020-2021 से 2020-2021	
कुल	0.00	49.00	50.00	2020-2021 से 2020-2021	

कुल बकाया-50.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Fifty Rupees

दिनांक- 01-04-20

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।
यह भारत सरकार द्वारा जारी की जानकारी के लिए है।

www.bhulagan.bihar.gov.in/citizen/payment_receipt.aspx?ad=Int/aiNR7IJMoupx%7fxfglxA%3d%3d&did=1acYQXFWGOnGkCI5ie

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

लगान रसीद

विहार भूमि

भोगबाद्ग

Running Unique No. : 0792098123
(Receipt No.)

जिला - Patna
अंचल - Danapur
हल्का - नगर परिषद दानापुर
मौजा - दानापुर
जमाबंदी नं० - 5540
भाग (वर्तमान) - 17
मौजा/खाता नं० - 21
पुराना खाता - 16464
जमाबंदी रैयत का नाम - VIVEK KUMAR
भोगोबाद्ग का नाम - BIRENDRA PRASAD
पता - MADHOPUR, BAKHTIYARPUR, PATNA

खाता नंबर	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
829	1032	0 एकड़ 3.438 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2020-2021 से 2020-2021
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	14.50	0.00	14.50	0.00	20.00	2020-2021 से 2020-2021
कुल	24.50	0.00	24.50	0.00	30.00	2020-2021 से 2020-2021

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियु
लगान	0.00	10.00	10.00	2020-2021 से 2020-2021	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	14.50	20.00	2020-2021 से 2020-2021	
कुल	0.00	24.50	30.00	2020-2021 से 2020-2021	

कुल बकाया-30.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Thirty Rupees

दिनांक- 01-04-2

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Rahul Chaudhary
Director

यह एक कम्प्यूटर जनित पर्ची है।
यह पर्ची केवल भारी की जानकारी के लिए है।

www.bhulagan.bihar.gov.in/citizen/payment_receipt.aspx?ad=Int/aiNR7IJMoupx%7fxfglxA%3d%3d&did=1acYQXFWGOnGkCI5ie

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

बिहार भूमि

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

लगान रसीद

अभिलेखन
Running Unique No. 0133850971
(Receipt No.)

जिला - Patna
अंचल - Danapur
हल्का - नगर परिषद् दानापुर
मौजा - दानापुर
जमाबंदी नं० - 0
खाता वर्तमान - 98
मौजा/थाना नं० - 21
पृष्ठ संख्या - 3355
जमाबंदी रैयत का नाम - VIVEK KUMAR
अभिभावक का नाम - BIRENDRA PRASAD
पता - MADHOPUR, BAKHTIYARPUR, PATNA

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
825	1033	0 एकड़ 14 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना माग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2020-2021 से 2020-2021
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	29.00	0.00	29.00	0.00	30.00	2020-2021 से 2020-2021
कुल	49.00	0.00	49.00	0.00	50.00	2020-2021 से 2020-2021

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान माग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	20.00	20.00	2020-2021 से 2020-2021	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	29.00	30.00	2020-2021 से 2020-2021	
कुल	0.00	49.00	50.00	2020-2021 से 2020-2021	

कुल बकाया-50.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Fifty Rupees

दिनांक- 01-04-202

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director

यह एक कम्प्यूटर जनित पर्ची है।
यह भाग केवल प्रार्थी को जमाबंदी के लिए है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

लगान रसीद

बिहार भूमि

भोजपाड़ा
Running Unique No : 0588975976
(Receipt No)

जिला - Patna
अंचल - Danapur
थाना - नगर परिषद दानापुर
मौजा - दानापुर
जमाबंदी नं० - 5538
मौजा/खाता नं० - 21
खाता संख्या - 17
रकबा संख्या - 15987
जमाबंदी रैयत का नाम - VIKASH KUMAR
पता - MADHOPUR, BAKHTIYARPUR, PATNA
अभिधारक का नाम - BIRENDRA PRASAD

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा डिसमिल
820	1032	0 एकड़ 9.062 डिसमिल 0.2423

सालाना भाग(बकाया और वर्तमान) वास्तु वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2020-2021 से 2020-2021
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	29.00	1.00	29.00	0.00	30.00	2020-2021 से 2020-2021
कुल	49.00	0.00	49.00	0.00	50.00	2020-2021 से 2020-2021

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान भाग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभि
लगान	0.00	20.00	20.00	2020-2021 से 2020-2021	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	29.00	30.00	2020-2021 से 2020-2021	
कुल	0.00	49.00	50.00	2020-2021 से 2020-2021	

कुल बकाया-50.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Fifty Rupees

दिनांक 01-04

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director

यह एक कम्प्यूटर उत्पन्न पर्ची है।
इस पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार भूमि

राजस्व एव भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

ऑनलाइन

Running Unique No. 0922129369

(Receipt No.)

लगान रसीद

जिला - Patna	अंचल - Danapur
हल्का - नगर परिषद् दानापुर	मौजा - दानापुर
जमाबंदी नं0 - 5462	
भाग वर्तमान - 17	मौजा/थाना नं0 - 21
पृष्ठ संख्या - 28379	
जमाबंदी रैयत का नाम - VIKASH KUMAR	
अभिकर्ता/क का नाम - BIRENDRA PRASAD	पता - MADHOPUR, BAKHTIYARPUR, PATNA

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा(हेक्टेयर)
829	1032	0 एकड़ 3.438 डिसमील 0 हेक्टेयर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2020-2021 से 2020-2021
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एव 20 प्रतिशत कृषि सेस)	14.50	0.00	14.50	0.00	20.00	2020-2021 से 2020-2021
कुल	24.50	0.00	24.50	0.00	30.00	2020-2021 से 2020-2021

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से बाद तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	10.00	10.00	2020-2021 से 2020-2021	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एव 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	14.50	20.00	2020-2021 से 2020-2021	
कुल	0.00	24.50	30.00	2020-2021 से 2020-2021	

कुल बकाया-30.00

वसूल की गयी राशि शब्दो मे- Thirty Rupees

दिनांक- 01-04-20

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director

यह एक कम्प्यूटर जनित पर्ची है।

यह भाग केवल आगे की जानकारी के लिए है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

ऑनलाइन
Running Unique No.: 0605272843
(Receipt No.)

बिहार भूमि

लगान रसीद

जिला - Patna
अंचल - Danapur
शहर - नगर परिषद दानापुर
मौजा - दानापुर
जमाबंदी नं0 - 5539
मौजा हल्का नं0 - 17
मौजा/थाना नं0 - 21
एच.आर.आई - 16114
जमाबंदी रैयत का नाम - INDU DEVI
पता - MADHOPUR, BAKHTIYARPUR, PATNA
अधिग्राहक का नाम - BIRENDRA PRASAD

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
8259	1012	0 एकड़ 3.438 डिसमील 0 वेकट

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2020-2021 से 2020-2021
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	14.50	0.00	14.50	0.00	20.00	2020-2021 से 2020-2021
कुल	24.50	0.00	24.50	0.00	30.00	2020-2021 से 2020-2021

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	10.00	10.00	2020-2021 से 2020-2021	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	14.50	20.00	2020-2021 से 2020-2021	
कुल	0.00	24.50	30.00	2020-2021 से 2020-2021	

कुल बकाया-30.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Thirty Rupees

दिनांक- 01-04-2

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

www.bhulagan.bihar.gov.in/ols/en/payment_receipt.aspx?uid=6j0x891v3yV6SKh5l8lA%3d%3d&did=1acYQXI WGOnGkCfsnIIUn

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

बिहार भूमि

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

ऑनलाइन
Running Unique No : 0739238740
(Receipt No)

लगान रसीद

जिला - Patna	अंचल - Danapur
हल्का - नगर परिषद् दानापुर	मौजा - दानापुर
जमाबंदी नं० - 0	
भाग वर्तमान - 98	मौजा/थाना नं० - 21
पृष्ठ संख्या - 3354	
जमाबंदी रैयत का नाम - INDU DEVI	पता - MADHOPUR, BAKHTIYARPUR, PATNA
अधिकार का नाम - BIRENDRA PRASAD	

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
828	1033	0 एकड़ 14 डिसमील 0 डेसिमल

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2020-2021 से 2020-2021
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	29.00	0.00	29.00	0.00	30.00	2020-2021 से 2020-2021
कुल	49.00	0.00	49.00	0.00	50.00	2020-2021 से 2020-2021

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभि
लगान	0.00	20.00	20.00	2020-2021 से 2020-2021	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	29.00	30.00	2020-2021 से 2020-2021	
कुल	0.00	49.00	50.00	2020-2021 से 2020-2021	

कुल बकाया-50.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Fifty Rupees

दिनांक- 01-04

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director

यह एक कम्प्यूटर द्वारा तैयार पर्ची है।
यह पत्र केवल पर्ची की जानकारी के लिए है।

www.bhulagan.bihar.gov.in/ols/en/payment_receipt.aspx?uid=6j0x891v3yV8SKh5l8lA%3d%3d&did=1acYQXI WGOnGkCfsnIIUn0%3d%3d

www.bhuiyan.bihar.gov.in/citizen/payment_receipt.aspx?uid=/IITGOel Z8I8Ol m3drg7%2fxAg%3d%3d&dd=1acYQXf WGOnGkCr

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

बिहार भूमि

मॉनसून

Running Unique No : 0102960339
(Receipt No :)

लगान रसीद

जिला - Patna	अंचल - Danapur
इकाई - नगर परिषद दानापुर	मौजा - दानापुर
जमाबंदी नं० - 5461	
भाग वर्तमान - 17	मौजा/थाना नं० - 21
पृष्ठ संख्या - 28350	
जमाबंदी रैयत का नाम - INDU DEVI	
अभिधारक का नाम - BIRENDRA PRASAD	पता - MADHOPUR, BAKHTIYARPUR, PATNA

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा:डिसमिल
829	1032	0 एकड़ 3.438 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूट	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2020-2021 से 2020-2021
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	14.50	0.00	14.50	0.00	20.00	2020-2021 से 2020-2021
कुल	24.50	0.00	24.50	0.00	30.00	2020-2021 से 2020-2021

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	10.00	10.00	2020-2021 से 2020-2021	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	14.50	20.00	2020-2021 से 2020-2021	
कुल	0.00	24.50	30.00	2020-2021 से 2020-2021	

कुल बकाया-30.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Thirty Rupees

दिनांक- 01-04-20

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director

यह एक कंप्यूटर उत्पादित प्रति है।

यह भारत बिहार सरकार की आधिकारी रसीद है।

www.bhuiyan.bihar.gov.in/citizen/payment_receipt.aspx?uid=/IITGOel Z8I8Ol m3drg7%2fxAg%3d%3d&dd=1acYQXf WGOnGkCr

बिहार भूमि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

लगान रसीद

ऑनलाइन
Running Unique No.: **0375446567**
(Receipt No.)

जिला:- **Patna**	अंचल:- **Danapur**
हल्का:- **नगर परिषद् दानापुर**	मौजा :- **दानापुर**
जमाबंदी सं0:- **334** भाग वर्तमान:- **93** पृष्ठ संख्या:- **334**	मौजा/थाना सं0:- **21**
जमाबंदी रेयत का नाम:- **AVADH BIHARI LAL,DEVANAND PRASAD** अभिभावक का नाम:- **GANESH LAL**	पता:- .

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
779,390	1031,1592	0 एकड़ 52 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	30.00	60.00	30.00	0.00	90.00	2018-2019 से 2020-2021
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	43.50	87.00	43.50	0.00	140.00	2018-2019 से 2020-2021
कुल	73.50	147.00	73.50	0.00	230.00	2018-2019 से 2020-2021

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	60.00	30.00	90.00	2018-2019 से 2020-2021	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	87.00	43.50	140.00	2018-2019 से 2020-2021	
कुल	147.00	73.50	230.00	2018-2019 से 2020-2021	

कुल बकाया-230.00
वसूल की गयी राशि शब्दों में- Two Hundred Thirty Rupees तिथि- **21-12-2020**

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

Print

बिहार भूमि

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Download Mobile App Official Lo

पंजी II विवरण

Go Bac

विवरण

भाग वर्तमान	: 93	पृष्ठ संख्या	:	334	
जिला का नाम	: Patna	अनुमंडल नाम	:	Danapur	
अंचल का नाम	: Danapur	हलका का नाम	:	नगर परिषद् दानापुर	
मौजा का नाम	: दानापुर	होल्डिंग संख्या	:	0	
खतो नाम	:	राजस्व थाना नंबर	:	21	
तौजी संख्या	: 0	इस्टेट का नाम	:	Bihar	

रैयत का नाम :

क्रम सं.	रैयत का नाम			जाति	निवासी
1.	AVADH BIHARI LAL,DEVANAND PRASAD	पिता/धर्म/अभू -	GANESH LAL	N/A	

प्लोट का विवरण

खाता नंबर	प्लोट संख्या	रकबा
779,390	1031,1592	0 एकड़ 52 डिसमील 0 हेक्टर
	कुल परिमान	0 एकड़ 52 डिसमील 0 हेक्टर

For Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

लगान का विवरण

बिहार सरकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
Acknowledgement Receipt

2/15/2021 11:07:38 PM

भूमि दखल-कब्जा (LPC) प्रमाण पत्र

Your Application has been Submitted Successfully. Your Application Number is 638/2020 - 2021

Applicant Details:

Applicant Name :	AVADH BIHARI LAL. DEVANAND PRASAD	**Father Name :**	GANESH LAL
Relation :	Father	**Case No. :**	638/2020 - 2021
Present Address -		**Permanent Address -**	
Village/Town : :	DANAPUR	**Village/Town :**	DANAPUR
Address :	DANAPUR	**Address :**	DANAPUR
District :	BIHAR	**District :**	PATNA
State :	None	**State :**	BIHAR
PIN Code :		**PIN Code :**	
Email Id :	sauravpatnabihar@gmail.com	**Mobile No :**	9334153486
Aadhar No :			
Uploaded File		Download	

Purpose of LPC: LOAN

जमाबंदी का विवरण:

भाग वर्तमान 93 पृष्ठ संख्या 334

जिला का नाम Patna अनुमंडल नाम Danapur अंचल का नाम Danapur हलका का नाम नगर परिषद दानापुर

मौजा का नाम दानापुर थाना नम्बर 21

जमाबंदी रैयत का नाम:

AVADH BIHARI LAL.DEVANAND PRASAD , पिता/बाप/अबू -GANESH LAL,
जाति- N/A

भूमि का विवरण

खाता नम्बर	प्लोट संख्या	रकबा	चौहद्दी उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
779,390	1031,1592	0 0 52 डि 0 है				
	कुल परिमान	0 0 52 डि 0 है				

अंतिम लगान का विवरण :

तारीख	पावती पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल
2020-12-21 14:01:50.0	0375446587	2018-2019	2020-2021	60	30	15	7.5	30	15	30	15	12	6

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें

for Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

December 18, 2020

बिहार सरकार

जमाबंदी एंजी प्रति

भाग वर्तमान	93		पृष्ठ संख्या	334		जमाबन्दी संख्या	334
जिला का नाम	Patna	अनुमंडल नाम	Danapur	अंचल का नाम	Danapur	हलका का नाम	नगर परिषद दानापुर
मौजा का नाम	दानापुर	खतियान संख्या	0	तौजी संख्या	0	थाना नम्बर	21

AVADH BIHARI LAL DEVANAND PRASAD , पिता/

बाप का नाम -GANESH LAL, जाति- NIA

खाता नम्बर	प्लॉट संख्या	रकबा	चौहद्दी				परिवर्तन के लिए दस्तियार	लगान	सेस
779 280	1021 1582	0 ए 52 डि 0 डे	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण		30	0
	कुल परिमान	0 ए 52 डि 0 डे							

तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लगत बकाया	लगत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल खारिज का विवरण Mutation Cases Not Found !!

BACK

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति

यह प्रपत्र केवल पार्टी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय से साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अधिकारी से संपर्क करें

प्लॉट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर क्लिक करें

For Vineet Homes Pvt. Ltd.

Director

बिहार भूमि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार
प्रपत्र-XIV ख
(देखें नियम-10)
लगान रसीद

ऑनलाईन
Running Unique No.: 03754
(Receipt No.)

जिला :- Patna	अंचल :- Danapur
हल्का :- नगर परिषद दानापुर	मौजा :- दानापुर
जमाबंदी सं० :- 334 भाग संख्या :- 93 पृष्ठ संख्या :- 334	मौजा/थाना सं० :- 21
जमाबंदी रैयत का नाम :- AVADH BIHARI LAL,DEVANAND PRASAD अभिग्राहक का नाम :- GANESH LAL	पती :-

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा(डिसमिल
779,390	1031,1592	0 एकड़ 52 डिसमील 0

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभिमुक्ति(बकाया का वर्ष क तक)
जमाबंदी लगान	30.00	60.00	30.00	0.00	90.00	2018-2019 से 2020-2021
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	43.50	87.00	43.50	0.00	140.00	2018-2019 से 2020-2021
कुल	73.50	147.00	73.50	0.00	230.00	2018-2019 से 2020-2021

वित्तीय वर्ष	वसूली			अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	
लगान	60.00	30.00	90.00	2018-2019 से 2020-2021
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	87.00	43.50	140.00	2018-2019 से 2020-2021
कुल	147.00	73.50	230.00	2018-2019 से 2020-2021

कुल बकाया-230.00
वसूल की गयी राशि शब्दों में- Two Hundred Thirty Rupees

पेज 2

for Vineet Homes Pvt. Ltd.
Director